# उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 7 अंक 2 16-31 जनवरी 2024 ₹ 20/-

# ज्ञानवापी के तहखाने में हिंदुओं को पूजा की अनुमति मिलने से मचा बवाल

- राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में निकाली गई शोभायात्राओं पर हमले
- ईरान द्वारा इराक स्थित इजरायल और अमेरिकी अड्डों पर हमले
- पाकिस्तान और ईरान का एक दूसरे पर मिसाइलों से हमला
- पॉपुलर फ्रंट के 15 कार्यकर्ताओं को मौत की सजा

परामर्शदाता
**डॉ. कुलदीप रतनू**

सम्पादक
**मनमोहन शर्मा***

सम्पादकीय सहयोग
**शिव कुमार सिंह**

**कार्यालय**
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

**E-mail:**
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

**Website:**
www.ipf.org.in

**मुद्रक–प्रकाशकः** मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

# अनुक्रमणिका

**सारांश** 03

**राष्ट्रीय**

ज्ञानवापी के तहखाने में हिंदुओं को पूजा की अनुमति मिलने से मचा बवाल 04
एएसआई की रिपोर्ट में ज्ञानवापी के नीचे विशाल मंदिर के पुरावशेष होने की पुष्टि 10
राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में निकाली गई शोभायात्राओं पर हमले 14
पॉपुलर फ्रंट के 15 कार्यकर्ताओं को मौत की सजा 18
समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड 21
मुस्लिम वोटों के लिए भाजपा की योजना 24

**विश्व**

पाकिस्तान और ईरान का एक दूसरे पर मिसाइलों से हमला 27
अफगानिस्तान में नौकरी करने के लिए महिलाओं का विवाहित होना जरूरी 31
खैबर पख्तूनख्वा में अतिवादियों द्वारा नाइयों की सामूहिक हत्या 32
बलूच नेताओं के रहस्यमय ढंग से लापता होने के खिलाफ अभियान 32
ब्रिटेन में छात्रों को नमाज पढ़ने से रोकने पर प्रिंसिपल अदालत में पेश 34

**पश्चिम एशिया**

ईरान द्वारा इराक स्थित इजरायल और अमेरिकी अड्डों पर हमले 35
चाबहार बंदरगाह परियोजना पर भारत और ईरान के बीच वार्ता 36
ओआईसी द्वारा अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की निंदा 38
सऊदी अरब में शराब की दुकान खोलने की तैयारी 41
अमेरिका द्वारा तुर्किये को एफ-16 लड़ाकू विमान बेचने की मंजूरी 42

# सारांश

भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा अत्याधुनिक संयंत्रों की मदद से ज्ञानवापी परिसर का सर्वे किया गया था। इस सर्वे रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की गई है कि मुगल शासक औरंगजेब के आदेश पर वाराणसी में भगवान आदि विश्वेश्वर के मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी परिसर का निर्माण किया गया था। इस सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि वहां पर छह प्राचीन शिलालेख भी मिले हैं, जिनसे स्पष्ट होता है कि ज्ञानवापी से पहले वहां पर मंदिर मौजूद था। इसके अतिरिक्त अनेक खंडित मूर्तियों सहित शिवलिंग के भूमि में दबे होने की भी पुष्टि हुई है। सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस बात की भी पुष्टि की गई है कि ध्वस्त किए गए स्तंभों एवं अन्य सामग्रियों का उपयोग ज्ञानवापी परिसर के निर्माण में किया गया है और मंदिर की दीवारों पर गुंबद बनाकर उसे मस्जिद में बदला गया है।

इस विवाद ने हाल ही में एक नया मोड़ लिया है। वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर के व्यासजी तहखाने में हिंदुओं को पूजा-अर्चना करने की अनुमति दे दी है। अदालत ने हिंदू पक्ष के इस तर्क को स्वीकार किया है कि इस तहखाने में 1993 तक सोमनाथ व्यास का परिवार पूजा-अर्चना किया करता था। बाद में उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ मुलायम सिंह यादव की सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। जिला अदालत के इस फैसले को ज्ञानवापी की इंतजामिया कमेटी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, मगर अदालत ने पूजा-अर्चना पर प्रतिबंध लगाने से इंकार कर दिया है।

अयोध्या में बने राम मंदिर और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के खिलाफ कुछ वर्गों द्वारा जो माहौल बनाया गया था उसके परिणामस्वरूप देश के अनेक भागों में भगवान राम की शोभायात्राओं पर पथराव किया गया और उन पर सुनियोजित ढंग से हमले किए गए। हालांकि, केंद्र सरकार ने यह चेतावनी दी थी कि अगर किसी ने समाचारपत्रों या सोशल मीडिया पर माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इसके बावजूद उर्दू के अनेक अखबारों और एक विशेष वर्ग से संबंधित लोगों ने सुनियोजित ढंग से लोगों की जनभावनाओं को उकसाने का प्रयास किया।

केरल की एक अदालत ने प्रतिबंधित अतिवादी इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 15 कार्यकर्ताओं को मौत की सजा सुनाई है। इन पर दो वर्ष पहले भाजपा के एक कार्यकर्ता रंजीत श्रीनिवासन की निर्मम हत्या करने का आरोप था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हाल के वर्षों में यह पहली बार है जब किसी अदालत ने एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में 15 लोगों को मौत की सजा सुनाई हो। गौरतलब है कि विदेशियों के इशारे पर भारत में इस्लामी शासन स्थापित करने की साजिश रचने और आतंकवाद की ज्वाला भड़काने के आरोप में पॉपुलर फ्रंट और उससे जुड़े हुए आठ संगठनों पर भारत सरकार पहले ही प्रतिबंध लगा चुकी है।

पाकिस्तान और ईरान के संबंधों में जबर्दस्त तनाव पैदा हो गया है। पाकिस्तान का आरोप है कि ईरान ने उसके क्षेत्र में मिसाइलों से हमला करके अनेक लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। इसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी सेना ने ईरानी इलाके को अपना निशाना बनाया है। इस घटना के बाद दोनों देशों ने अपने-अपने राजदूतों को वापस बुलाने की भी घोषणा कर दी है। ईरान सरकार ने यह भी स्वीकार किया है कि कुछ अज्ञात सशस्त्र हमलावरों ने ईरान के एक कस्बे में अंधाधुंध गोलियां चलाकर नौ पाकिस्तानी नागरिकों की हत्या कर दी है। ये पाकिस्तानी नागरिक ईरान में मजदूरी करते थे।

# ज्ञानवापी के तहखाने में हिंदुओं को पूजा की अनुमति मिलने से मचा बवाल

हाल ही में वाराणसी की एक अदालत ने हिंदुओं को यह अनुमति दी है कि वे ज्ञानवापी के व्यासजी तहखाने में पूजा-अर्चना कर सकते हैं।

**रोजनामा सहारा** (3 फरवरी) के अनुसार ज्ञानवापी की इंतजामिया कमेटी ने जिला अदालत के इस फैसले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने ज्ञानवापी के व्यासजी तहखाने में पूजा-अर्चना पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई छह फरवरी को की जाएगी। हालांकि, उच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिया है कि ज्ञानवापी परिसर में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की जाए। न्यायालय के इस आदेश के बाद ज्ञानवापी परिसर में सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच जुमे की नमाज अदा की गई। नमाजियों की संख्या आशा से बहुत अधिक थी, इसलिए पुलिस प्रशासन ने ज्ञानवापी परिसर में ज्यादा भीड़ होने की दलील देकर नमाज अदा करने के लिए उनकी एक बड़ी संख्या को अन्य मस्जिद में भेज दिया। अदालत के इस फैसले के खिलाफ वाराणसी के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही मुस्लिम महिलाओं को भी यह निर्देश दिया गया है कि वे अपने घरों से बाहर न निकलें।

**इंकलाब** (3 फरवरी) के अनुसार अदालतों के रवैये से मुस्लिम संगठन और नेता सख्त नाराज हैं और वे न्यायपालिका की आलोचना भी कर रहे हैं। मुस्लिम नेताओं ने दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह आरोप लगाया है कि प्रशासन की मिलीभगत से रात के अंधेरे में ज्ञानवापी के तहखाने में मूर्तियां रखकर पूजा-अर्चना शुरू की गई हैं। इस संवाददाता सम्मेलन को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, जमीयत उलेमा

के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी, जमीयत अहले हदीस के अध्यक्ष मौलाना असगर अली इमाम महदी सलाफी, जमीयत उलेमा (महमूद गुट) के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी, जमात-ए-इस्लामी के उपाध्यक्ष मलिक मोहतसिम खान, फतेहपुरी मस्जिद के इमाम मौलाना मुफ्ती मुकर्रम अहमद, वेल्फेयर पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कासिम रसूल इलियास और कमाल फारूकी ने संयुक्त रूप से संबोधित किया। इस संवाददाता सम्मेलन में यह आरोप लगाया गया कि ज्ञानवापी परिसर में पूजा की अनुमति देना प्रशासन और न्यायालय की मिलीभगत का नतीजा है।

इन मुस्लिम नेताओं ने वाराणसी के जिला न्यायाधीश के फैसले को गलत और बेबुनियाद करार दिया है। न्यायाधीश ने यह तर्क दिया था कि ज्ञानवापी के तहखाने में 1993 तक सोमनाथ व्यास का परिवार पूजा-अर्चना करता था, जिसे तत्कालीन राज्य सरकार के निर्देश पर बंद कर दिया गया था। मुस्लिम नेताओं ने यह दावा किया है कि इस तहखाने में कभी पूजा नहीं हुई है और बेबुनियाद व झूठे दावे को आधार बनाकर जिला न्यायाधीश ने अपनी सेवानिवृत्ति के अंतिम दिन बेहद ही आपत्तिजनक फैसला सुनाया है। इसी तरह से भारतीय पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट को आधार बनाकर भी समाज में तनाव और विघटन पैदा किया जा रहा है। मुस्लिम नेताओं ने यह दावा किया कि यह मामला सिर्फ ज्ञानवापी तक ही सीमित नहीं है। मथुरा की शाही ईदगाह, दिल्ली की सुनहरी मस्जिद और देश की विभिन्न मस्जिदों और दरगाहों पर बेबुनियाद दावे किए जा रहे हैं। इससे मुसलमानों में बेहद बेचैनी है।

इन मुस्लिम नेताओं ने कहा कि इस देश में उपासना स्थलों के संरक्षण का कानून मौजूद है, मगर उस पर न्यायपालिका ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे की न्यायपालिका के बारे में यह राय बिल्कुल सही है कि वह सांप्रदायिक ताकतों की कठपुतली बनती जा रही है और प्रशासन कानून के उल्लंघन पर मूकदर्शक बना हुआ है। इन मुस्लिम नेताओं ने कहा कि वे इस अन्याय को राष्ट्रपति के दरबार तक ले जाएंगे। इसके अतिरिक्त कानून की धज्जियां उड़ाए जाने के संबंध में भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी अवगत कराया जाएगा।

**मुंबई उर्दू न्यूज** (3 फरवरी) के अनुसार जमीयत उलेमा के अध्यक्ष अरशद मदनी ने कहा है कि हमने पूजा स्थल अधिनियम, 1991 की भी आलोचना की थी और कहा था कि इस कानून में बाबरी मस्जिद को क्यों नहीं शामिल किया गया है? बाबरी मस्जिद के मामले में अदालत ने जो फैसला किया उससे साफ है कि किसी भी मस्जिद पर कब्जा किया जा सकता है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि अगर यही चलेगा तो फिर कानून की किताबों को आग लगा दो। अगर कानून के अनुसार किसी भी मजहब को न्याय नहीं मिलेगा तो फिर इस कानून का क्या फायदा है? जमीयत उलेमा के मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि अगर देश में लाठी और भैंस का कानून चला तो इस बात को भी याद रखना चाहिए कि लाठी हाथ भी बदलती है। उन्होंने कहा कि न्यायपलिका की आजादी एक लोकतांत्रिक देश की सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम इसे बरकरार नहीं रख पाएंगे तो यह लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। महमूद मदनी ने कहा कि क्या इस देश में तानाशाही लाने की तैयारी हो रही है?

**कौमी तंजीम** (3 फरवरी) ने अपने संपादकीय में जिला न्यायाधीश और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रवैये पर चिंता प्रकट की है और उनके इस फैसले को संविधान व कानून के खिलाफ करार दिया है।

**औरंगाबाद टाइम्स** (1 फरवरी) के अनुसार अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार करते हुए उन्हें ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा करने का अधिकार दे दिया है। खास बात यह है कि जिला न्यायाधीश डॉ. अजय कुमार विश्वेश ने सेवानिवृत्त होने के कुछ घंटे पहले यह फैसला सुनाया है। उनके इस फैसले पर जबर्दस्त विवाद पैदा हो गया है। इस फैसले के बाद ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदुओं ने पूजा-अर्चना शुरू कर दी है। हिंदू पक्ष ने इस फैसले को अपनी सबसे बड़ी जीत बताया है। जबकि मुसलमानों ने इस फैसले को गलत बताया है और उच्च न्यायालय में अपील करने की घोषणा की है।

गौरतलब है कि शैलेन्द्र कुमार पाठक नामक व्यक्ति ने वाराणसी के जिला न्यायाधीश की अदालत में एक याचिका दायर करके यह मांग की थी कि ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास हॉल के तहखाने में उन्हें पूजा करने की अनुमति दी जाए। इस पर फैसला सुनाते हुए जिला न्यायाधीश ने कहा कि वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को यह निर्देश दिया जाता है कि वे काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट द्वारा मनोनीत पुजारी से व्यास तहखाने में पूजा करवाएं और इसकी सुरक्षा के लिए सप्ताह के अंदर वहां पर लोहे की बाड़ आदि लगाई जाएं।

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि जिला प्रशासन को सात दिन के अंदर पूजा से संबंधित आवश्यक प्रबंध करने का निर्देश दिया गया है। उचित प्रबंध होते ही वहां पर पूजा भी शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट इस बात का निर्णय करेगा कि पूजा किस तरह होनी चाहिए। हमारा जो कानूनी काम था वह हमने पूरा कर दिया है। अब यह काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट पर निर्भर है कि वह इस तहखाने में पूजा कब शुरू करवाता है। पूजा के लिए भक्तों से लेकर पुजारी तक को वहां जाने की अनुमति होगी। विष्णु शंकर जैन ने कहा कि एक फरवरी 1986 को न्यायमूर्ति जस्टिस के. एम. पांडेय ने राम जन्मभूमि का ताला खोलने का जो आदेश दिया था उसी की रोशनी में मैं इस मामले को भी देखता हूं। यह इस देश का एक महत्त्वपूर्ण मोड़ है। उन्होंने कहा कि एक सरकार ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए हिंदू समाज को पूजा-पाठ करने से रोक दिया था। आज अदालत ने इस अन्याय का निराकरण कर दिया है।

मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इतजामिया मस्जिद कमेटी के वकील अखलाक अहमद ने

कहा कि यह फैसला गलत है। हम इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। रिपोर्ट के अनुसार 17 जनवरी को अदालत के आदेश पर जिला प्रशासन ने व्यासजी तहखाने का जिम्मा संभाल लिया था। एएसआई के सर्वे के दौरान तहखाने की सफाई की गई। अब जिला न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट द्वारा मनोनीत पुजारी ही पूजा करवाएंगे।

ज्ञानवापी के व्यासजी तहखाने में पूजा की अनुमति देने वाले जिला न्यायाधीश डॉ. अजय कुमार विश्वेश की वाराणसी की अदालत में नियुक्ति 21 अगस्त 2021 को हुई थी और आज 31 जनवरी 2024 को वे सेवानिवृत्त हो गए हैं। सेवानिवृत्त होने से कुछ घंटे पहले उन्होंने हिंदुओं के पक्ष में यह फैसला सुनाया है। पिछले दो सालों में डॉ. अजय कुमार विश्वेश ने ज्ञानवापी केस में कई बड़े फैसले सुनाए हैं। इनमें भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा सर्वेक्षण का फैसला, श्रृंगार गौरी पूजा मामले का फैसला, व्यास तहखाने को वाराणसी के जिलाधिकारी को सौंपने का फैसला, पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट को दोनों पक्षों को सौंपने का फैसला और अब व्यासजी के तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा-पाठ की अनुमति देने का फैसला भी सुनाया है।

अदालत के इस फैसले पर टिप्पणी करते हुए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि यह उपासना स्थलों के संरक्षण से संबंधित कानून का खुला उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व इस न्यायाधीश ने 17 जनवरी को एक रिसीवर की नियुक्ति की थी। इससे इस बात का संकेत मिल गया था कि यह केस किस दिशा में जा रहा है। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा की अनुमति देना सरासर गलत है। वहां पर बाबरी मस्जिद के ध्वस्त करने की पुनरावृत्ति हो सकती है।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने जिला न्यायाधीश के फैसले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि यह तर्क सरासर गलत है कि 1993 तक सोमनाथ व्यास का परिवार इस तहखाने में पूजा करता था और बाद में राज्य सरकार के निर्देश पर इसे बंद कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि 17 जनवरी को जिला प्रशासन ने तहखाने को अपने नियंत्रण में ले लिया था। अदालत ने उस वक्त अपने आदेश में यह भी कहा था कि स्थिति को यथावत बरकरार रखा जाए, मगर आज अदालत ने वहां पर पूजा करने की अनुमति कैसे दे दी है? यह बेहद अफसोसजनक है। पहले अगस्त 2021 में पांच हिंदू महिलाओं ने एक स्थानीय अदालत में याचिका दायर करके कहा था कि यह एक हिंदू मंदिर था, जहां पर विधिवत पूजा होती थी। औरंगजेब ने इस मंदिर को ध्वस्त करके यहां पर मस्जिद बनवा दी थी, इसलिए हमें इसमें पूजा करने की अनुमति दी जाए।

इसके बाद मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए कहा कि पूजा स्थल अधिनियम, 1991 में इसकी यथास्थिति बनाए रखने की व्यवस्था है तो सर्वोच्च न्यायालय

ने इसे फिर से जिला अदालत में भेज दिया। जिला अदालत ने यह फैसला सुनाया कि ज्ञानवापी पर यह कानून लागू नहीं होता और न ही वक्फ एक्ट लागू होता है। इसके बाद अदालत ने ज्ञानवापी परिसर के सर्वेक्षण का आदेश दे दिया। बाद में सर्वे टीम ने हौज के फव्वारे को शिवलिंग घोषित करके हौज के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया। अभी यह मामला थमा भी नहीं था कि अदालत ने एक अन्य आदेश में भारतीय पुरातत्व विभाग को ज्ञानवापी का सर्वे करने का आदेश दे दिया। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ज्ञानवापी के अंदर एक बड़े मंदिर के पुरावशेष मिले हैं। अब एक अन्य फैसले में ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा की अनुमति दे दी गई है। इलियास ने कहा कि बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर बनाए जाने के बाद अब देशभर में फैली हुई सैकड़ों मस्जिदों व दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है और कहा है कि उपासना स्थलों के संरक्षण के कानून को सख्ती से लागू किया जाए।

**औरंगाबाद टाइम्स** (2 फरवरी) के अनुसार जिला न्यायाधीश के ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा करने की इजाजत देने के आठ घंटे के अंदर ही वहां पर मूर्तियां रखकर पूजा-पाठ शुरू कर दी गई है। इस पूजा का प्रबंध वाराणसी के जिलाधिकारी ने किया है। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, मगर उसने इस याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया और यह निर्देश दिया कि वे इलाहाबाद उच्च न्यायालय से संपर्क करें। रिपोर्ट के अनुसार यहां पर 30 साल पहले मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में पूजा पाठ करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। इस मुकदमे में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि अदालत के निर्देश का पालन किया गया है और मूर्तियां स्थापित करने के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के पुजारी द्वारा संध्या आरती की गई और अखंड ज्योति जलाई गई। उन्होंने कहा कि यहां पर प्रतिदिन सुबह, शाम और रात को तमाम देवताओं की आरती की जाएगी। इस मुकदमे के एक अन्य वकील सोहन लाल आर्य ने कहा कि हम बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अदालत ने हमारे साथ न्याय किया है। समाजवादी पार्टी की पुरानी सरकार ने मनमाने तरीके से हिंदुओं को पूजा के अधिकार से वंचित कर दिया था, जिसे अब अदालत ने बहाल कर दिया है।

इसी समाचारपत्र में प्रकाशित एक अन्य समाचार के अनुसार अदालत द्वारा ज्ञानवापी के तहखाने में हिंदुओं को पूजा की अनुमति मिलने पर जमात-ए-इस्लामी के अमीर सैयद सदातुल्लाह हुसैनी ने अफसोस प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि अदालत का यह फैसला पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 और विभिन्न अदालतों द्वारा यथास्थिति को बनाए रखने के लिए दिए गए आदेशों का खुला उल्लंघन है।

**इत्तेमाद** (1 फरवरी) के अनुसार ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने वाराणसी की जिला अदालत के फैसले को गलत करार दिया है और कहा है कि जिला न्यायाधीश ने स्वयं स्वीकार किया है

कि 1993 के बाद से तहखाने में पूजा नहीं हुई है। फिर उन्होंने किस आधार पर फिर से पूजा करने की अनुमति दी है। न्यायाधीश को मस्जिद की प्रबंध समिति को इस फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए एक महीने की अवधि देनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि 1949 में जिस तरह से बाबरी मस्जिद में रातोंरात मूर्तियां रख दी गई थीं उसी इतिहास की पुनरावृत्ति एक बार फिर से हो रही है। बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने के बाद सरकार की मिलीभगत और संरक्षण में वहां पर राम मंदिर बना दिया गया है। क्या ऐसा ही वाराणसी में भी करने की तैयारी हो रही है?

**मुंबई उर्दू न्यूज** (1 फरवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा-पाठ करने की जो अनुमति दी है वह देश के मुसलमानों को स्वीकार नहीं है। इस फैसले से इस देश में विघटन पैदा होगा और अशांति फैलेगी। संपादकीय में कहा गया है कि ऐसे न्यायाधीशों की कमी नहीं है जिनकी आंखों पर धर्मांधता की पट्टी बंधी हुई है। इससे पहले बाबरी मस्जिद के मामले में सर्वोच्च न्यायालय तक ने तमाम तथ्यों को नजरअंदाज करके मस्जिद की भूमि को राम मंदिर बनाने के लिए दे दिया था। अब यही कहानी वाराणसी की ज्ञानवापी में भी दोहराई जा रही है, इसलिए मुसलमानों को यह फैसला किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करना चाहिए।

**उर्दू टाइम्स** (1 फरवरी) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि बाबरी मस्जिद की कहानी को अब ज्ञानवापी में भी दोहराया जा रहा है। यह सब एक सोची-समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। फैसला सुनाने वाला सिविल जज सेवानिवृत्त हो गया है। अब मोदी सरकार इनाम के तौर पर उसे कोई बड़ा पद देगी। इसी तरह से बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाने वाले न्यायाधीशों को भी उपकृत किया गया है। समाचारपत्र ने मुसलमानों को उकसाते हुए कहा है कि इस सरकार के शासनकाल में मुस्लिम विरोध में जो भी हो जाए वह कम है। अभी तो ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा की अनुमति दी गई है। कल को अगर पूरी मस्जिद को मंदिर में तब्दील कर देंगे तब भी मुसलमान कुछ नहीं कर सकेगा, क्योंकि मुसलमानों का जमीर मर चुका है। जिसका जमीर मर जाता है वह दीन और शरिया को क्या समझेगा?

समाचारपत्र ने सुझाव दिया है कि मुसलमानों को अपने बच्चों को कानून की शिक्षा दिलानी चाहिए, ताकि वे न्यायाधीश बन सकें। तभी मुसलमानों को न्याय भी मिलेगा, वरना मस्जिदों को कानूनी तौर पर मंदिर साबित करने से ये लोग कभी बाज नहीं आएंगे। अब सैकड़ों मस्जिदों पर दावा करने की तैयारी हो रही है। मुसलमानों को इस खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए।

**अवधनामा** (3 फरवरी) ने अपने संपादकीय में मुसलमानों से आह्वान किया है कि वे ज्ञानवापी की रक्षा के लिए कूच करने की तैयारी करें, क्योंकि अब बाबरी की तरह ज्ञानवापी के नीचे भी मंदिर के अवशेष मिलने का दावा किया जा रहा है। यह रिपोर्ट कोई सामान्य राय नहीं है, बल्कि आधुनिकतम उपकरणों की आड़ लेकर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। मुसलमानों को आने वाले खतरे के बारे में जागरूक हो जाना चाहिए।

**सहाफत** (3 फरवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि ज्ञानवापी के फैसले से पहले ही हमें यह अनुमान हो गया था कि अदालत हमें ही दोषी ठहराएगी। समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि न्यायपालिका का एक वर्ग बहुसंख्यक संप्रदाय के प्रभाव में आ गया है, इसलिए वह न्यायसंगत फैसला सुनाने के बजाय सरकारी दबाव में आकर फैसला सुना रहा है। कल बाबरी मस्जिद हाथ से गई और आज ज्ञानवापी भी हाथ से निकल रही है। अगला निशाना मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद

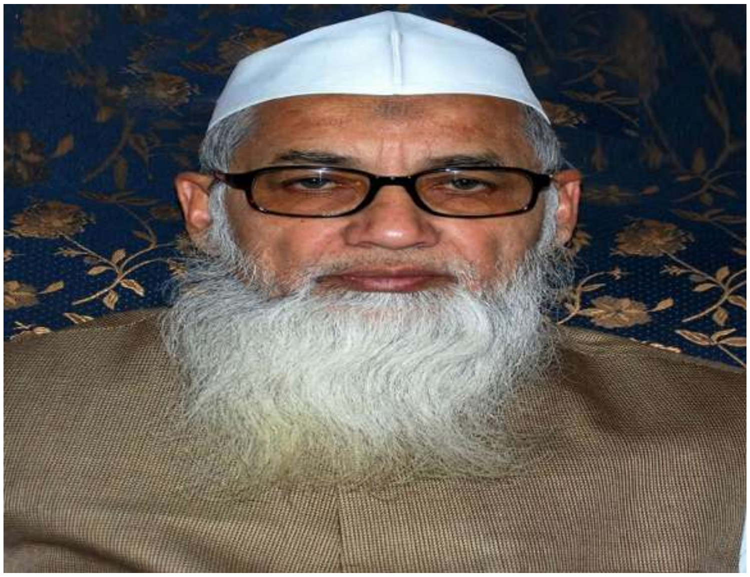

है। इन घटनाओं को देखते हुए अब इस देश में इस्लाम और मुसलमानों का भविष्य सुरक्षित नजर नहीं आ रहा है। इस बढ़ते हुए खतरे का मुकाबला करने के लिए मुसलमानों को गंभीरता से विचार करना चाहिए।

**तासीर** (3 फरवरी) ने भी कहा है कि वर्तमान सरकार की नीतियां मुसलमान और इस्लाम विरोधी हैं। वह अल्पसंख्यकों का सफाया करके देश पर बहुसंख्यकवाद लादना चाहती है। मुसलमानों को सरकार के खतरनाक इरादों के बारे में जागरूक हो जाना चाहिए।

**रोजनामा सहारा** (3 फरवरी) के अनुसार दारूल उलूम देवबंद के प्रमुख मौलाना अबुल कासिम नोमानी ने देशभर के मुसलमानों से अपील की है कि वे ज्ञानवापी परिसर में अदालत द्वारा मूर्ति पूजा की अनुमति देने के खिलाफ आवाज बुलंद करें। वे मस्जिदों में जाकर खामोशी से नमाज अदा करके अपना विरोध प्रकट करें। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसा प्रतीत होता है कि अब यह देश बहुसंख्यक तानाशाही की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ■

## एएसआई की रिपोर्ट में ज्ञानवापी के नीचे विशाल मंदिर के पुरावशेष होने की पुष्टि

**औरंगाबाद टाइम्स** (26 जनवरी) के अनुसार जिला न्यायाधीश के निर्देश पर ज्ञानवापी परिसर से संबंधित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की रिपोर्ट दोनों पक्षों के हवाले कर दी गई है। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि ज्ञानवापी के नीचे एक प्राचीन मंदिर का विशाल ढांचा मिला है। हिंदू पक्ष ने इस पर प्रसन्नता व्यक्त की है और कहा है कि अगर मंदिर को गिराकर मस्जिद बनाई गई थी तो इसे अब हिंदुओं के हवाले कर देना चाहिए और इसमें हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। दूसरी ओर, मुस्लिम पक्ष ने कानूनी लड़ाई को आगे बढ़ाने की घोषणा की है। मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने इस रिपोर्ट की मीडिया कवरेज पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है। उन्होंने यह भी मांग की थी कि इस सर्वे रिपोर्ट को ईमेल पर उपलब्ध कराने की भी अनुमति न दी जाए।

गौरतलब है कि वाराणसी के जिला न्यायाधीश डॉ. अजय कुमार विश्वेश की अदालत ने 21 जुलाई 2023 को ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वे का आदेश दिया था। इसके बाद एएसआई की टीम ने सील किए गए वजूखाने को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे करके अदालत में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। अदालत ने यह भी निर्देश दिया था कि सर्वे के दौरान वर्तमान ढांचे में किसी तरह की खुदाई न की जाए, क्योंकि इससे

उसे क्षति पहुंच सकती है। अदालत ने इस सर्वे के लिए अत्याधुनिक रडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया था। इस सर्वे रिपोर्ट के कुछ अंश मीडिया में प्रकाशित भी हुए हैं। हिंदू पक्ष के वकील ने कहा है कि इस बात के ऐतिहासिक प्रमाण हैं कि यह मस्जिद भगवान आदि विश्वेश्वर के मंदिर को गिराकर बनाई गई थी। उन्होंने यह भी दावा किया है कि ज्ञानवापी परिसर की पश्चिमी दीवार के नजदीक ध्वस्त अवशेष मिले हैं। उन्होंने कहा कि अब एएसआई को तीनों गुंबदों और व्यासजी के तहखाने की भी रडार प्रणाली से जांच करनी चाहिए। एएसआई की टीम ने 136 दिनों के अध्ययन के बाद 1600 पृष्ठों की एक रिपोर्ट तैयार की है। इस सर्वे में वैज्ञानिकों ने जीपीआर तकनीक द्वारा दस मीटर की गहराई तक का अध्ययन किया है, जिसमें प्राचीन मूर्तियों के अवशेष और ध्वस्त किए गए मंदिर की अन्य सामग्रियां भी मिली हैं।

**उर्दू टाइम्स** (25 जनवरी) के अनुसार मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने जिला न्यायाधीश के ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वे कराने के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। 3 अगस्त 2023 को अदालत ने इस याचिका को रद्द करते हुए ज्ञानवापी परिसर का अत्याधुनिक उपकरणों से सर्वे कराने के बारे में जिला न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखा था। इसके बाद एएसआई के विशेषज्ञों ने अत्याधुनिक उपकरणों के सहारे यह सर्वे किया था।

**उर्दू टाइम्स** (26 जनवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि हिंदू पक्ष के मुताबिक मस्जिद के नीचे मंदिर होने के ठोस प्रमाण मिले हैं। समाचारपत्र का कहना है कि जब मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई थी तो अदालत वहां पर फिर से मंदिर बनाने का आदेश भी दे सकती है। जैसा कि बाबरी मस्जिद के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था। हालांकि, मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देने की घोषणा की है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा। बाबरी मस्जिद के मामले में मुसलमानों के पास जमीन की मिल्कियत के सभी कागज थे और इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं था कि बाबरी मस्जिद का निर्माण किसी मंदिर को तोड़कर किया गया था। इसके बावजूद सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि इस स्थान से हिंदू आस्था जुड़ी हुई है, इसलिए इस भूमि को हिंदुओं

के हवाले कर देना चाहिए। मुसलमान अगर चाहें तो वे अपनी मस्जिद किसी अन्य स्थान पर बना सकते हैं और उसके लिए सरकार भूमि देगी।

वाराणसी की मस्जिद के बारे में तो कह दिया गया है कि मस्जिद के नीचे मंदिर होने का ठोस प्रमाण है। अब आगे का काम अदालत करेगी। फिर मुसलमान हाथ मलता रह जाएगा। सब्र कर लेगा या मामला अल्लाह पर छोड़ देगा। इसके अलावा मुसलमान कर भी क्या सकता है। उनमें न तो आपसी एकता है और न हीं इसके लिए कोई प्रयास किया जा रहा है। हर मुसलमान अपने आप में मस्त है। एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ लगी हुई है। किसी को यह भी फिक्र नहीं कि कौम का क्या हाल हो रहा है। ऐसे में अगर बाबरी मस्जिद की तरह ज्ञानवापी और शाही ईदगाह को भी ध्वस्त करके उस स्थान पर मंदिर बना दिए जाएं तो इसमें कोई क्या कर सकता है।

**रोजनामा सहारा** (24 जनवरी) के अनुसार राम जन्मभूमि सर्वेक्षण टीम के सदस्य और एएसआई के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक डॉ. के.के. मुहम्मद ने मुसलमानों से अपील की है कि वे वाराणसी की ज्ञानवापी और मथुरा की शाही ईदगाह को हिंदुओं के हवाले कर दें, क्योंकि काशी, मथुरा और अयोध्या हिंदुओं के पवित्र स्थान हैं। ये भगवान शिव, भगवान कृष्ण और भगवान राम से जुड़े हुए हैं। जबकि वहां पर बनी हुई मस्जिदों के साथ मुसलमानों का कोई भावनात्मक लगाव नहीं है।

**रोजनामा सहारा** (25 जनवरी) के अनुसार विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और वरिष्ठ वकील आलोक कुमार ने कहा है कि एएसआई की रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि होती है कि ज्ञानवापी का निर्माण एक भव्य मंदिर को गिराकर किया गया था। इस मंदिर के अवशेष अब भी मौजूद हैं। रिपोर्ट से यह भी साबित होता है कि मस्जिद का गुंबद पुराने मंदिर की दीवारों पर ही बनाया गया था और मंदिर के भग्नावशेषों का इस्तेमाल मस्जिद बनाने के लिए किया गया था। मस्जिद के ढांचे में अनेक प्राचीन शिलालेख और खंडित मूर्तियां भी मिली हैं, जो वहां पर मंदिर होने की पुष्टि करती हैं। ऐसी स्थिति में मुसलमानों को चाहिए कि वे ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं के हवाले कर दें, ताकि वे वहां पर मंदिर का निर्माण कर सकें। जहां तक मस्जिद का संबंध है मुसलमान उसका निर्माण किसी भी अन्य स्थान पर कर सकते हैं। इससे हमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

**इत्तेमाद** (28 जनवरी) के अनुसार ज्ञानवापी की प्रबंध समिति ने कहा है कि एएसआई की सर्वे रिपोर्ट की आड़ लेकर हिंदू पक्ष द्वारा जो यह दुष्प्रचार किया जा रहा है कि इस मस्जिद के नीचे एक प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले हैं, उसे देश के मुसलमानों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए और उन्हें अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। वहीं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुसलमानों से अपील की है कि एएसआई की रिपोर्ट को समक्ष रखते हुए मुसलमान ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं के हवाले कर दें, ताकि वहां पर एक भव्य मंदिर का निर्माण किया जा सके। उन्होंने कहा कि इससे देश में सांप्रदायिक सद्भावना में बढ़ोतरी होगी।

**टिप्पणी:** वाराणसी की ज्ञानवापी मामले में एएसआई की रिपोर्ट सार्वजनिक हो चुकी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ज्ञानवापी परिसर के अंदर एक प्राचीन मंदिर की संरचना मिली है। इस पर हिंदू पक्ष ने कहा है कि सर्वे रिपोर्ट से यह साफ हो गया है कि यहां पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। अब ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं के हवाले कर देना चाहिए, ताकि वे वहां पर पूजा अर्चना कर सकें। दूसरी ओर, मुस्लिम पक्ष ने इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ने की घोषणा की है। मुस्लिम पक्ष पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 का हवाला देकर इस पर

संवैधानिक रोक लगाने की मांग कर रहा है। उसका कहना है कि इस कानून में सभी उपासना स्थलों की यथास्थिति को बनाए रखने का प्रावधान है। वहीं, हिंदू पक्ष का दावा है कि वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर के नीचे 100 फीट ऊंचा आदि विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है।

गौरतलब है कि काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण 2050 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने करवाया था, लेकिन मुगल आक्रांता औरंगजेब ने 1669 में मंदिर को तुड़वाकर वहां पर एक मस्जिद का निर्माण कराया था, जिसे ज्ञानवापी के नाम से जाना जाता है। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार औरंगजेब ने 1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करके वहां पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। ध्वस्त मंदिर के स्तंभों का इस्तेमाल मस्जिद बनाने में हुआ। वहां पर प्राप्त पुरालेखों में जनार्दन, रुद्र और उमेश्वर जैसे नामों का प्रमुखता से उल्लेख किया गया है। इसके अलावा वहां पर संस्कृत के अतिरिक्त दक्षिण की कुछ भाषाओं के प्राचीन शिलालेख भी पाए गए हैं, जिनमें मंदिर होने की पुष्टि की गई है।

एएसआई की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 32 स्थानों पर मंदिर से संबंधित पुरावशेष मिले हैं। ज्ञानवापी का पश्चिमी दीवार हिंदू मंदिर का हिस्सा है। इस पर हिंदुओं के धार्मिक चिन्ह आदि मौजूद हैं। इस मंदिर में अनेक स्तंभ ऐसे हैं, जिन पर हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियां भी मौजूद पाई गई हैं। संस्कृत, देवनागरी, तेलुगु और कन्नड भाषा में लिखे शिलालेख भी मिले हैं। एक जगह महामुक्ति मंडप का भी उल्लेख किया गया है। इससे इसके मंदिर होने की पुष्टि होती है। ज्ञानवापी के तहखाने में हिंदू-देवी देवताओं की अनेक मूर्तियां भी मिली हैं। हिंदू पक्ष की ओर से सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील विष्णु शंकर जैन ने पत्रकारों को बताया कि अब अदालत से ज्ञानवापी परिसर में सील किए गए वजू खाने का सर्वेक्षण कराने का भी अनुरोध किया जाएगा।

बता दें कि मां शृंगार गौरी केस मामले में भी एक अदालती आदेश के तहत ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण किया गया था। 16 मई 2022 को ज्ञानवापी के वजूखाने में आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग मिलने का भी दावा किया गया था। हिंदू पक्ष की मांग पर अदालत के आदेश से वजूखाने को सील कर दिया गया था। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन का दावा है कि पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 की धारा तीन और चार में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि 15 अगस्त 1947 को जिस भी धार्मिक स्थल का जो स्वरूप था उसे बरकरार रखा जाएगा। जैन का कहना है कि सितंबर 2022 में वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी केस में अपने फैसले में कहा था कि नवंबर 1993 तक परिसर में हिंदू पक्ष पूजा पाठ करता रहा है, इसलिए इस परिसर पर पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 लागू नहीं होता है।

# राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में निकाली गई शोभायात्राओं पर हमले

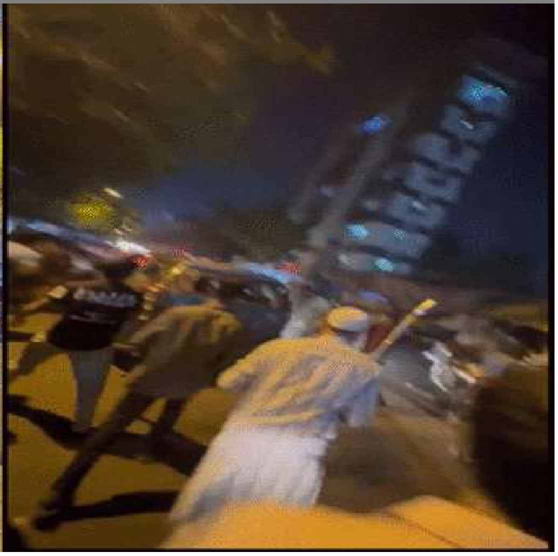

भारत सरकार के गृह मंत्रालय व सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से इस बात की कड़ी चेतावनी दी गई थी कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर यदि समाचारपत्रों एवं सोशल मीडिया में सांप्रदायिक भावना भड़काने का प्रयास किया गया या हिंसा के लिए उकसाया गया तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस चेतावनी के बावजूद देश में अनेक स्थानों पर रामभक्तों द्वारा निकाली गई शोभायात्राओं पर हमले किए गए और राम मंदिर के निर्माण से संबंधित पोस्टरों को भी फाड़ा गया। महाराष्ट्र में अनेक स्थानों पर शोभायात्राओं पर पथराव की घटनाएं हुई हैं।

**इंकलाब** (22 जनवरी) के अनुसार अनेक स्थानों पर शोभायात्राओं पर पथराव किया गया। स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। गुजरात के मेहसाणा जिले में श्रीराम शोभायात्रा पर कुछ लोगों ने छतों से पथराव किया। इस पर हिंसा भड़क उठी। पुलिस ने स्थिति पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ और लाठी चार्ज किया। बाद में इस संदर्भ में 15 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया।

**रोजनामा सहारा** (29 जनवरी) के अनुसार राजस्थान में चित्तौड़गढ़ पुलिस ने जम्मू-कश्मीर से संबंध रखने वाले मेवाड़ विश्वविद्यालय के छात्र को गिरफ्तार किया था। गंगरार पुलिस थाने के एसएचओ जयेश पाटीदार के अनुसार 21 वर्षीय बीफार्मा छात्र सोहराब कयूम ने राम मंदिर और भगवान राम के खिलाफ इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। 25 जनवरी को एक स्थानीय निवासी की शिकायत पर सोहराब के खिलाफ थाने में आईपीसी की धारा 153ए और 295ए के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद पुलिस ने सोहराब को गिरफ्तार कर लिया था। मेवाड़ विश्वविद्यालय के निदेशक हरीश गुरनानी ने कहा कि सोहराब को विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया गया है। दोषी छात्र जम्मू-कश्मीर के राजौरी का रहने वाला है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसे भारतीय सेना की विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत मेवाड़ विश्वविद्यालय में भेजा गया था। सोहराब के

खिलाफ की गई कार्रवाई का जम्मू-कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन ने विरोध किया है। एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है कि सोहराब के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को वापस लिया जाए, क्योंकि इससे उसका भविष्य तबाह हो सकता है।

**सहाफत** (25 जनवरी) के अनुसार श्रीराम लिखे झंडों को उतारकर जलाने के आरोप में शाहजहांपुर के तिलहर थाने में 17 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

**सहाफत** (24 जनवरी) के अनुसार राम मंदिर के उद्घाटन और भगवान राम के खिलाफ इंस्टाग्राम पर टिप्पणी करने के आरोप में पुलिस ने मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले से परवेज खटीक नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। समाज के एक वर्ग की आस्था को ठेस पहुंचाने के आरोप में उस पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

**रोजनामा सहारा** (25 जनवरी) के अनुसार मुजफ्फरनगर जिले के गांव दिनकरपुर में कुछ शरारती तत्वों ने एक मंदिर पर हमला करके भगवान श्रीराम की मूर्ति को खंडित कर दिया। जब इसकी सूचना लोगों को मिली तो गांव के सैकड़ों लोग मंदिर में जमा हो गए। तनाव को देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार मंदिर के सेवादार हरिमोहन त्यागी ने कहा कि जब वे सुबह मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भगवान राम की मूर्ति खंडित है। पूछताछ करने पर मालूम चला कि कुछ लोग रात में आए और उन्होंने मंदिर पर हमला करके भगवान राम की मूर्ति को तोड़ दिया।

**हमारा समाज** (26 जनवरी) के अनुसार हरियाणा के पानीपत में मौलाना उस्मान नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उस पर आरोप है कि उसने राम मंदिर के निर्माण से संबंधित लगाए गए पोस्टरों को फाड़ दिया था। बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार मौलाना के साथ कुछ अन्य लोग भी थे, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है।

**अखबार-ए-मशरिक** (30 जनवरी) के अनुसार सहारनपुर जिले के गंगोह थाना क्षेत्र में स्थित कुंडाकलां गांव के एक व्यक्ति धीरा की शिकायत पर पुलिस ने असलम और बल्लू को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि इन दोनों आरोपियों ने हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ नारे लगाए थे और दलित समाज के धीरा पर धर्मांतरण के लिए दबाव डाला था।

**अखबार-ए-मशरिक** (24 जनवरी) के अनुसार शाहजहांपुर में श्रीराम शोभायात्रा में शामिल लोगों की एक मस्जिद में जमा हुए लोगों से झड़पें हुईं। शोभायात्रा निकालने वालों का कहना है कि उन पर पथराव किया गया था। जबकि मस्जिद में जमा लोगों का यह आरोप है कि शोभायात्रा वालों ने इस्लाम विरोधी नारे लगाए थे और उन्होंने मस्जिद पर भगवा झंडा लगाने का प्रयास किया था। इस पर दोनों गुटों में झड़पें हुईं। बाद में पुलिस ने इस संदर्भ में 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया।

**मुंबई उर्दू न्यूज** (23 जनवरी) के अनुसार अयोध्या में मुगल आक्रांता बाबर के पुतले को

लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों का आरोप है कि पुलिस एकतरफा कार्रवाई कर रही है। मुस्लिम नेता अबू आसिम आजमी ने एक बयान में कहा है कि पुलिस ने महाराष्ट्र के एक दर्जन से अधिक स्थानों पर भगवान राम की शोभायात्राओं पर पथराव के आरोप में मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि शोभायात्राओं में भाग लेने वाले लोगों ने मुसलमानों और इस्लाम के

आग लगाई गई और वहां पर जमा लोगों ने बाबर मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस दौरान मुसलमान शांत रहे, वरना स्थिति बिगड़ सकती थी। दिल्ली में भी कुछ शरारती तत्वों ने मस्जिदों के बाहर जय श्रीराम के नारे लगाए। इस पर मस्जिद में नमाज के लिए इकट्ठे हुए मुसलमानों ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। हरियाणा के हिसार में बजरंग दल की एक रैली में इस्लाम विरोधी नारे लगाए गए और महिलाओं ने तलवार लहराकर ताकत का प्रदर्शन किया। गुजरात के खेरालू कस्बा स्थित मुस्लिम मोहल्ले में जब श्रीराम शोभायात्रा गुजर रही थी तो शरारती तत्वों ने इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ उत्तेजक नारे लगाए। इस पर मुसलमानों ने उन पर पथराव किया, जिसमें 18 लोग घायल हो गए। मुसलमानों की शिकायत है कि पुलिस ने शोभायात्रा में भाग लेने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के बजाय एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए 18 मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया।

गुजरात के बडोदरा में भी भगवान राम की शोभायात्रा पर मुस्लिम क्षेत्रों में पथराव किया गया, जिसमें लगभग दो दर्जन लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने इस संबंध में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इस क्षेत्र में पुलिस को भारी संख्या में तैनात किया गया है। वहीं, मुंबई के मुस्लिम बहुल क्षेत्र मीरा रोड में भी राम शोभायात्रा पर पथराव किया गया। पुलिस ने इस संबंध में 18

खिलाफ उत्तेजक नारे लगाए, मगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के बजाय पुलिस ने मुसलमानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर लिए है। बिहार के सिवान जिले के सिंघवारा थाना क्षेत्र में जब राम शोभायात्रा मुस्लिम क्षेत्रों से गुजरी तो स्थानीय लोगों ने रास्ते को लेकर आपत्ति जताई। इस दौरान पत्थरबाजी होने का भी आरोप है। मुंबई के भायंदर, पनवेल और नागपुर में भी श्रीराम शोभायात्रा में भाग लेने वालों की दंगाईयों के साथ झड़पें हुईं। पुलिस का कहना है कि इन झड़पों की शुरुआत तब हुई, जब कुछ अज्ञात लोगों ने शोभायात्रा पर पत्थर फेंके।

**इत्तेमाद** (24 जनवरी) के अनुसार कर्नाटक पुलिस ने बेल्लारी में हुई सांप्रदायिक झड़पों के सिलसिले में एक दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार जब नौजवानों का एक जत्था राम शोभायात्रा निकाल रहा था तो उन पर कुछ शरारती तत्वों ने पथराव किया। इस पर झड़प शुरू हो गई। पुलिस ने लाठीचार्ज करके स्थिति को नियंत्रण में किया। कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में जुलूस के दौरान हुए पथराव के बाद दो गुटों में झड़पें हुईं। पुलिस ने लाठीचार्ज करके स्थिति को काबू में कर लिया और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। मुंबई के मुस्लिम बहुल क्षेत्र नया नगर में भी हिंसा की घटनाएं हुईं। इस दौरान पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर स्थिति को नियंत्रण में करने का प्रयास किया। इस संबंध में

पुलिस ने मुकदमे दर्ज करके दोषी व्यक्तियों की तलाश शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में भी शोभायात्रा में भाग लेने वाले लोगों की दूसरे संप्रदाय के लोगों के साथ झड़प होने की खबर मिली है। पुलिस ने इस संदर्भ में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। तेलंगाना के नलगोंडा, रंगारेड्डी और विकाराबाद में भी शोभायात्राओं में भाग लेने वालों की मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ झड़प होने की सूचना मिली है। इस सिलसिले में मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं।

**मुंबई उर्दू न्यूज** (24 जनवरी) के अनुसार मीरा रोड में श्रीराम शोभायात्रा पर हुए पथराव के बाद महाराष्ट्र सरकार के आदेश पर उन 15 घरों पर बुलडोजर चलाए गए, जिनकी छतों से शोभायात्रा पर पथराव किए गए थे। मोहम्मद अली रोड़ स्थित उन घरों पर भी बुलडोजर चलाए जाने की सूचना मिली है, जहां से शोभायात्रा पर पथराव हुआ था। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वाले दंगाई तत्वों के खिलाफ पुलिस को कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

**औरंगाबाद टाइम्स** (26 जनवरी) के अनुसार मुंबई के मीरा रोड में श्रीराम शोभायात्रा पर हुए पथराव की घटना के बाद भायंदर नगर निगम ने 40 से अधिक दुकानों को बुलडोजर से तोड़ दिया है। बीएमसी के पदाधिकारियों का कहना है कि हैदरी चौक पर स्थित जिन 15 दुकानों को ध्वस्त किया गया है, वे अवैध रूप से बनाई गई थीं। जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह कार्रवाई सांप्रदायिक द्वेष के कारण की गई है। नया नगर में शोभायात्रा पर हुए पथराव के सिलसिले में पुलिस ने 70 मुस्लिम नौजवानों को हिरासत में लिया है। मुसलमानों का आरोप है कि यह कार्रवाई भाजपा नेताओं के दबाव में की गई है। जबकि पुलिस आयुक्त मधुकर पांडेय ने कहा है कि इस पथराव के सिलसिले में 14 मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है।

**मुंबई उर्दू न्यूज** (24 जनवरी) के अनुसार दिल्ली स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया में 'जस्टिस फॉर बाबरी', 'फाइट फॉर बाबरी' और 'बॉयकॉट फॉर बाबरी' जैसे नारे लगाए गए। एक वायरल वीडियो के अनुसार इस अवसर पर छात्रों के दो गुटों में झड़पें हुईं, जिसमें एक गुट ने 'कब्र खुदेगी राम की, जामिया की धरती पर' के नारे भी लगाए। वहीं, दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के डीएसपी राजेश देव ने इस घटना से इंकार किया है और कहा है कि वायरल वीडियो किसी अन्य जगह के हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और कुशीनगर में भी श्रीराम की शोभायात्राओं पर पथराव के समाचार मिले हैं। पुलिस ने इस संबंध में चार लोगों को गिरफ्तार भी किया है। आगरा के मुसलमानो ने आरोप लगाया है कि कुछ शरारती तत्वों ने ताजगंज क्षेत्र में स्थित शाही मस्जिद में घुसकर वहां पर भगवा झंडा लहराने का प्रयास किया था, जिसे पुलिस ने विफल बना दिया है। ताजगंज थाने के इंचार्ज इंस्पेक्टर जसवीर सिंह ने इस घटना की पुष्टि की है और कहा है कि यह घटना शाम चार बजे की है। पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

# पॉपुलर फ्रंट के 15 कार्यकर्ताओं को मौत की सजा

**औरंगाबाद टाइम्स** (31 जनवरी) के अनुसार केरल की एक अदालत ने प्रतिबंधित इस्लामी अतिवादी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 15 कार्यकर्ताओं को भाजपा के एक नेता रंजीत श्रीनिवासन की हत्या के आरोप में मौत की सजा सुनाई है। भाजपा ओबीसी मोर्चा के नेता रंजीत श्रीनिवासन की 19 दिसंबर 2021 को हत्या कर दी गई थी। पिछले सप्ताह अदालत ने इस केस के 15 अरोपियों को दोषी करार दिया था। अदालत ने कहा है कि आठ दोषियों निजाम, अजमल, अनूप, मोहम्मद असलम, अब्दुल सलाम उर्फ सलाम पोन्नद, अब्दुल कलाम, सफरुद्दीन और मनशाद ने सीधे तौर पर रंजीत की हत्या की थी। जबकि अन्य दोषियों की पहचान जसीब राजा, नवास, शमीर, नसीर, जाकिर हुसैन, शाजी पूवाथुंगल और शमनास अशरफ के तौर पर हुई है। इनमें से चार लोगों को अदालत ने इसलिए दोषी करार दिया है, क्योंकि ये चारों सशस्त्र होकर रंजीत के घर पर गए थे। उनकी योजना थी कि जब वे रंजीत की हत्या के लिए उन पर हमला करेंगे तो रंजीत वहां से भाग न सकें और न ही उनकी सहायता के लिए कोई अन्य व्यक्ति आ सके। शेष तीन लोगों को हत्या की साजिश रचने का दोषी ठहराया गया है।

गौरतलब है कि केरल के अलाप्पुझा की अतिरिक्त जिला न्यायाधीश वी.जी. श्रीदेवी ने यह फैसला सुनाया है। मृतक के वकील ने कहा है कि अदालत ने जिन लोगों को सजा दी है वे प्रशिक्षित किलर स्क्वॉड का हिस्सा थे। इन हत्यारों ने रंजीत की उनकी मां, पत्नी और बच्चे के सामने जिस बेरहमी से हत्या की है वह 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' अपराध की श्रेणी में आता है। अदालत में पुलिस ने अपने आरोप पत्र में कहा था कि 19 दिसंबर 2021 को जब रंजीत श्रीनिवासन अलाप्पुझा स्थित अपने घर पर सुबह की सैर करने की तैयारी कर रहे थे तो हमलावर उनके घर में घुस गए। इसके बाद हमलावरों ने उनके परिवारजनों के सामने रंजीत को बेरहमी से पीटा, जिससे

घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। रंजीत ने भाजपा के टिकट पर केरल विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। वे पेशे से वकील थे।

कहा जाता है कि रंजीत की हत्या से एक दिन पहले ही पॉपुलर फ्रंट के राजनीतिक विंग सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) के सचिव के.एस. शान की हत्या कर दी गई थी। के.एस. शान जब 18 दिसंबर की रात बाइक से अपने घर लौट रहे थे, तभी एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी थी। इसके बाद उन पर चाकू से कई वार किए गए। घायलावस्था में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। पॉपुलर फ्रंट के नेताओं ने शान की हत्या के लिए भाजपा और संघ परिवार को दोषी ठहराया था। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सी.टी. रवि ने कहा है कि सीपीआईएम की नेतृत्व वाली केरल सरकार ने राज्य को जिहादियों के लिए जन्नत बना दिया है। वहीं, केंद्रीय मंत्री वी. मुरलीधरन ने भी हमलों की निंदा की थी। उन्होंने कहा कि इस्लामी आतंकियों ने केरल को कत्ल के मैदान में बदल दिया है और वे चुन-चुनकर भाजपा व संघ परिवार के स्वयंसेवकों की हत्या कर रहे हैं। दूसरी ओर, एसडीपीआई के प्रमुख एम.के. फैजी ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि शान की हत्या राज्य के सांप्रदायिक सौहार्द को हिंसा से तबाह व बर्बाद करने के संघ परिवार के एजेंडे का हिस्सा है। हम आरएसएस के आतंकवाद की निंदा करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि केरल पुलिस के एक बड़े वर्ग की सहानुभूति आरएसएस के साथ है।

**हिंदुस्तान टाइम्स** (31 जनवरी) के अनुसार हाल के वर्षों में यह पहली बार है जब किसी अदालत ने एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में 15 लोगों को मौत की सजा सुनाई हो। इस बात की पुष्टि विशेष सरकारी वकील प्रताप जी पडिक्कल ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए की है। उन्होंने यह भी कहा है कि इसके अतिरिक्त दोषियों को उम्रकैद और जुर्माने की भी सजा दी गई है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अदालत में 156 गवाह पेश किए गए थे। इसके अतिरिक्त 1000 दस्तावेज और 100 भौतिक वस्तुएं अदालत में पेश की गईं। केरल पुलिस ने दावा किया है कि अदालत के इस फैसले से पुलिस के मनोबल में बढ़ोतरी हुई है। इस केस की जांच अलाप्पुझा जिला के पुलिस प्रमुख जी. जयदेव ने की थी। केरल भाजपा के अध्यक्ष के. सुरेन्द्रन ने अदालती फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि हमें न्याय मिला है।

गौरतलब है कि 28 सितंबर 2022 को केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट पर पांच साल के लिए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। केंद्र सरकार ने यह कदम यूएपीए कानून के तहत उठाया था। इस अधिसूचना में पॉपुलर फ्रंट से संबंधित आठ अन्य संगठनों पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। सरकार ने इस अधिसूचना में कहा था कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उससे संबंधित संगठनों की गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक हैं। ये संगठन देशभर में आतंकवाद की ज्वाला भड़काना चाहते हैं।

यहां पर यह भी बता दें कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की टीम ने अक्टूबर 2023 में देश के छह राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में पॉपुलर फ्रंट से जुड़े हुए लोगों की तलाश में छापे मारे थे। एनआईए ने यह दावा किया था कि पॉपुलर फ्रंट को विदेशों से हवाला के जरिए बहुत बड़ी धनराशि प्राप्त हो रही है। यह संगठन विदेशियों के इशारे पर देशभर में हिंसा और आतंकवाद फैलाने की योजना बना रहा है। इस संगठन द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बिहार दौरे के दौरान भी दंगे भड़काने की योजना बनाई गई थी।

इससे पहले सितंबर 2022 में एनआईए ने राष्ट्रव्यापी कार्रवाई करते हुए पॉपुलर फ्रंट के शीर्ष

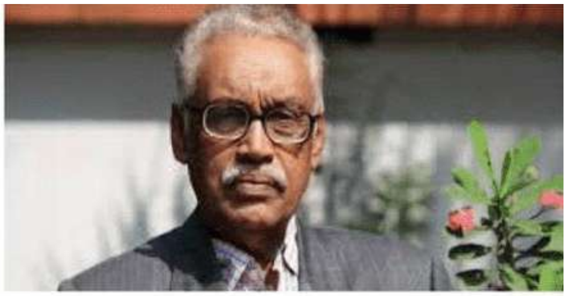

नेताओं ओएमए सलाम, ई.एम. अब्दुल रहमान, पी. कोया और खालिद मोहम्मद को गिरफ्तार किया था। ओएमए सलाम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष और केरल सरकार के बिजली बोर्ड का निलंबित कर्मचारी है। जबकि इसका उपाध्यक्ष ई. एम. अब्दुल रहमान एक व्यापारी है। वहीं, पी. कोया एक सरकारी कॉलेज में प्राध्यापक है। जबकि खालिद मोहम्मद पेशे से वकील है।

एक दूसरे मामले में मई 2023 में एनआईए ने आरएसएस के स्वयंसेवक श्रीनिवासन की हत्या में शामिल साहिर केवी नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। श्रीनिवासन की हत्या के बाद से यह फरार था। एनआईए ने उस पर चार लाख रुपये का इनाम रखा था। इस मामले में 69 आरोपी बनाए गए थे, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है। एनआईए 59 लोगों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है। बता दें कि 16 अप्रैल 2022 को केरल के पलक्कड़ में आरएसएस के स्वयंसेवक श्रीनिवासन की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। एनआईए की जांच के दौरान इस बात का भी खुलासा हुआ था कि साहिर केवी पॉपुलर फ्रंट का एक सक्रिय कार्यकर्ता है। वह हिंदुओं में दहशत फैलाने और 2047 तक देश में इस्लामी शासन कायम करने के नापाक मंसूबे के तहत कार्य कर रहा था। यह भी आरोप है कि साहिर श्रीनिवासन की हत्या के दोषियों को संरक्षण प्रदान कर रहा था।

एनआईए की जांच के अनुसार हत्यारे बाइक पर श्रीनिवासन के घर आए थे और उन्होंने उस पर चाकुओं और धारदार हथियार अरुवल से हमला किया था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार श्रीनिवासन पर 20 बार अरुवल से वार किया गया था। अरुवल केरल और तमिलनाडु में एक प्रकार का कृषि उपकरण है, जिसका उपयोग हथियार के रूप में होता है। इससे पूर्व नवंबर 2021 में केरल के एलापल्ली क्षेत्र में संघ के मंडल बौद्धिक प्रमुख ए. संजित की भी उनकी पत्नी के सामने ही हत्या कर दी गई थी।

उल्लेखनीय है कि कुछ साल पहले केरल पुलिस ने केरल उच्च न्यायालय में एक रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसमें यह दावा किया गया था कि संघ और उससे संबंधित संगठनों के 26 कार्यकर्ताओं की हत्या में पॉपुलर फ्रंट के कार्यकर्ताओं का हाथ है। तब पुलिस ने पॉपुलर फ्रंट पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की थी, मगर अदालत ने इसकी अनुमति नहीं दी थी।

एक अन्य समाचार के अनुसार जनवरी 2023 में एनआईए ने पॉपुलर फ्रंट के पीआरओ के घर पर छापा मारा था। उसके कब्जे से अनेक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए थे, जिनमें केरल भाजपा और संघ परिवार के कार्यकर्ताओं की एक सूची भी शामिल थी। ये पॉपुलर फ्रंट के हिट लिस्ट में थे। एनआईए ने कोल्लम जिले से पॉपुलर फ्रंट के एक कार्यकर्ता मोहम्मद सादिक को गिरफ्तार किया था। केरल पुलिस ने यह शिकायत की थी कि एनआईए ने सादिक के घर पर छापा मारने से पूर्व उसे इस संदर्भ में कोई सूचना नहीं दी थी और न ही उसे इस बात से अवगत कराया गया था कि इस छापे के दौरान आरोपी के घर से कौन-कौन से दस्तावेज बरामद हुए हैं। दूसरी ओर, एनआईए ने केरल पुलिस को विश्वास में न लेने की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए यह आरोप लगाया था कि भूतकाल में जब भी पॉपुलर फ्रंट के संदिग्ध नेताओं के घरों पर छापा मारने के संबंध में स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई तो उन्होंने संबंधित आरोपी को सूचित कर दिया, जिससे वह छापे से पूर्व ही फरार हो गया।

एनआईए ने यह भी आरोप लगाया था कि केरल पुलिस के एक वर्ग की सहानुभूति पॉपुलर फ्रंट से संबंधित लोगों से है। इस संबंध में एनआईए ने केरल पुलिस के प्रमुख को एक गुप्त रिपोर्ट दी थी, जिसमें यह कहा गया था कि केरल पुलिस के 873 कर्मचारियों का संबंध प्रतिबंधित अतिवादी संगठन पॉपुलर फ्रंट से है। इनमें सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर और एसएचओ तक शामिल हैं। एनआईए ने कहा कि पॉपुलर फ्रंट से संबंधित लोग केरल पुलिस के गुप्तचर विभाग और अन्य शाखाओं में कार्य कर रहे हैं। केरल पुलिस द्वारा इस रिपोर्ट का खंडन भी किया गया था। फरवरी 2022 में करीमानूर पुलिस स्टेशन में नियुक्त एक सिपाही पी.के. अनस को सेवा से बर्खास्त किया गया था। उस पर यह आरोप था कि वह आरएसएस से संबंधित कार्यकर्ताओं और नेताओं का विवरण पॉपुलर फ्रंट के राजनीतिक विंग एसडीपीआई को लीक कर रहा था। जांच के दौरान इस आरोप की पुष्टि होने के बाद संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की गई थी।

## समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड

**औरंगाबाद टाइम्स** (30 जनवरी) के अनुसार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मई 2022 में जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में जो पांच सदस्यीय कमेटी गठित की थी, उसने अपना कार्य पूरा कर लिया है। अब इस बात की संभावना है कि दो फरवरी तक यह कमेटी अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप देगी। इसके बाद राज्य विधानसभा

का विशेष अधिवेशन बुलाकर राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने से संबंधित विधेयक लाया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भाजपा ने अपने चुनावी घोषणापत्र में उत्तराखंड की जनता से वायदा किया था कि अगर पार्टी सत्ता में आएगी तो राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू किया जाएगा। अब जनता से किए गए इस वायदे को पूरा करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। भाजपा सूत्रों के अनुसार अगर उत्तराखंड विधानसभा समान नागरिक संहिता से संबंधित विधेयक को पारित कर देती है तो इसके बाद ऐसा ही विधेयक दो अन्य राज्यों गुजरात और असम में भी पेश किया जाएगा। पार्टी सूत्रों का दावा है कि लोकसभा के चुनाव से पूर्व तीन राज्यों में समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया जाएगा।

**मुंबई उर्दू न्यूज** (19 जनवरी) के अनुसार हैदराबाद में आयोजित ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने की योजना का विरोध करने का फैसला किया गया है। बोर्ड के अधिवेशन में पारित एक प्रस्ताव में कहा गया है कि बोर्ड इससे पहले ही यह स्पष्ट कर चुका है कि भारत जैसे बहुमजहबी और बहुसांस्कृतिक देश के लिए समान नागरिक संहिता को लागू करना उचित नहीं होगा। अगर इस तरह का कोई प्रयास किया गया तो वह संविधान की भावना के विरुद्ध होगा। संविधान में अल्पसंख्यकों को इस बात की गारंटी दी गई है कि वे अपनी आस्था व धर्म के अनुसार आचरण कर सकते हैं और सरकार उसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगी। अगर देश में समान नागरिक संहिता को लागू किया जाता है तो यह इस गारंटी का खुला उल्लंघन होगा।

जमीयत उलेमा ने भी अपनी कार्यकारिणी की बैठक में देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने के किसी भी प्रयास का विरोध करने का निर्णय किया है। देवबंद में जमीयत उलेमा कार्यकारिणी की बैठक में पारित एक प्रस्ताव में यह कहा गया है कि विधि आयोग ने सरकार को स्पष्ट रूप से यह निर्देश दिया था कि फिलहाल देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करना उचित नहीं होगा। जमीयत उलेमा ने कहा है कि सरकार आने वाले चुनावों में बहुसंख्यक समाज के वोटों को बटोरने के लिए समान नागरिक संहिता को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है जो सरासर अनुचित है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी समान नागरिक संहिता को लागू करने के प्रयास को अल्पसंख्यकों को संविधान में दी गई गारंटी पर कुठाराघात बताया है और कहा है कि अल्पसंख्यक और आदिवासी मिलकर इसका विरोध करेंगे।

**तासीर** (3 फरवरी) के अनुसार समान नागरिक संहिता पर विचार करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने जो समिति गठित की थी उसने अपनी रिपोर्ट उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी है।

**सहाफत** (3 फरवरी) के अनुसार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इस विशेष कमेटी की रिपोर्ट में चार खंड और 740 पृष्ठ हैं। उन्होंने कहा कि राज्य विधानसभा के अगले अधिवेशन में इस पर विचार करने के बाद इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा।

**मुंबई उर्दू न्यूज** (3 फरवरी) के अनुसार उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू करने के बारे में विशेषज्ञों की कमेटी ने जो रिपोर्ट तैयार की है उस पर राज्य मंत्रिमंडल में विचार करने के बाद उसे 6 फरवरी को शुरू होने वाले राज्य विधानसभा के विशेष अधिवेशन में पेश किया जाएगा। इसी समाचारपत्र ने इसी अंक के अपने संपादकीय में कहा है कि समान नागरिक संहिता की आड़ में देश की राजनीति को सांप्रदायिक आधार पर बांटने और उसका राजनीतिक लाभ उठाने का खेल शुरू हो गया है। समान नागरिक संहिता पर उस समय नए सिरे से चर्चा शुरू हुई थी जब प्रधानमंत्री मोदी ने 27 जून 2023 को भोपाल में भाजपा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत का संविधान अगर देश के सभी वर्गों के लिए है तो हर वर्ग का अलग-अलग कानून कैसे हो सकता है। हालांकि, भाजपा ने 2014 के चुनावी घोषणापत्र में भी समान नागरिक संहिता को लागू करने का वायदा किया था। हकीकत यह है कि समान नागरिक संहिता हिंदू राष्ट्र के उस स्वप्न को कार्यान्वित करने का एक महत्त्वपूर्ण पथ है, जो भाजपा के लोग काफी अरसे से देखते आ रहे हैं।

समाचारपत्र ने कहा है कि यह शोशा इसलिए छोड़ा गया है ताकि भाजपा के पक्ष में हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो सके। सबसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि शरिया कानूनों के संबंध में न तो केंद्र और न ही उत्तराखंड सरकार की नीयत साफ नजर आती है। लगता तो यह है कि आने वाले चुनावों में इस मुद्दे का इस्तेमाल मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने और अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। इसकी आड़ में मुसलमानों के शरिया कानून और मजहब को बदलने की कोशिश की जा सकती है, इसलिए देश के सभी मुसलमानों में इसके बारे में बेचैनी है। सरकार की यह कोशिश है कि आम भारतीय नागरिकों में यह प्रचार किया जाए कि मुस्लिम कौम एक अच्छे काम में रूकावट डाल रही है। मुस्लिम नेताओं और खास तौर पर मुस्लिम पसर्नल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमा, जमात-ए-इस्लामी और अन्य मुस्लिम संगठनों को चाहिए कि वे कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। वे देश के सिखों और आदिवासियों को भी अपने इस संघर्ष में शामिल करें।

# मुस्लिम वोटों के लिए भाजपा की योजना

**रोजनामा सहारा** (17 जनवरी) के अनुसार उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जी तोड़ कोशिश कर रही है। लोकसभा चुनाव में अब केवल तीन महीने ही रह गए हैं। भाजपा के विश्लेषकों का कहना है कि अब तक के चुनावों में मुस्लिम मतदाताओं ने अपने आप को भाजपा से दूरी बनाकर ही रखा है, इसलिए इस बार पार्टी मुस्लिम मतादाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने में कोई कमी नहीं रहने देना चाहती है। अगले महीने से भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में सौ से अधिक कौमी चौपालों का आयोजन करेगा। इस अभियान के तहत मुस्लिम बहुल ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अल्पसंख्यक मोर्चा सरकार और मुसलमानों के बीच पुल के रूप में काम करेगा।

भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों का दावा है कि इस संदर्भ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बहुल लोकसभा क्षेत्रों में काफी काम हो चुका है। अब पार्टी अपना ज्यादा ध्यान मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर लगाएगी। इसके लिए चार हजार से अधिक मुस्लिम बहुल गांवों का चयन किया गया है। यहां पर पार्टी के कार्यकर्ता घर-घर जाकर मोदी सरकार की अल्पसंख्यकों के कल्याण से संबंधित योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। इन सभी गांवों में मुस्लिम चौपालों का भी आयोजन किया जाएगा। यहां पर मुसलमानों की समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। फिर इन समस्याओं के समाधान के लिए केंद्र और राज्य सरकार से संपर्क साधा जाएगा।

समाचारपत्र ने कहा है कि इस समय उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी लगभग 20 प्रतिशत है। जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में हिंदुओं की आबादी लगभग 80 प्रतिशत थी। वहीं, मुसलमानों की आबादी 19 प्रतिशत थी। हालांकि, उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं, जिनमें मुसलमानों की जनसंख्या काफी अधिक है। इनमें मुरादाबाद, रामपुर, कैराना, बिजनौर आदि जिले शामिल हैं। कहा जाता है कि मुसलमानों का रूझान अन्य पार्टियों की तुलना में भाजपा की ओर काफी कम रहा है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। 2014 में इनमें से 71

सीटों पर पार्टी ने जीत दर्ज की थी। जबकि 2019 में पार्टी की सीटों की संख्या घटकर 62 रह गई। कांग्रेस को 2019 के चुनावों में आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिली थी। सिर्फ सोनिया गांधी ही रायबरेली से चुनाव जीतने में सफल हुई थीं। वहीं, अमेठी लोकसभा सीट पर राहुल गांधी को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हराया था। भाजपा को यह डर है कि इस बार इंडिया गठबंधन के कारण मुसलमान कांग्रेस की ओर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, इसलिए मुस्लिम मतदाताओं को पार्टी की ओर आकर्षित करने के लिए विशेष प्रयास शुरू किया गया है।

**रोजनामा सहारा** (26 जनवरी) के अनुसार अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के तीन दिन बाद ही भाजपा ने लोकसभा के चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में इस अभियान की शुरुआत की। इस दौरान पार्टी का चुनावी थीम सॉन्ग 'हम सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं' जारी किया गया। प्रधानमंत्री ने चुनावी घोषणापत्र तैयार करने के लिए जनता से मशवरा भी मांगा है। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वे भाजपा की रीढ़ की हड्डी के रूप में जनता के सामने आएं। इस चुनावी अभियान के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने बुलंदशहर, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, गाजियाबाद और हापुड़ के लिए 20,700 करोड़ से अधिक की 46 विकास परियोजनाओं की शुरुआत की है।

**इंकलाब** (26 जनवरी) के अनुसार राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कारण देश में मोदी और भाजपा के समर्थन में उत्पन्न लहर को बनाए रखने के लिए देशभर के लाखों लोगों को राम मंदिर की मुफ्त तीर्थयात्रा करवाई जाएगी। इस संदर्भ में संघ परिवार और भाजपा के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि वे आने वाले महीनों में 50 लाख से ज्यादा लोगों को मंदिर के दर्शन के लिए अयोध्या लाएं। यह कार्यक्रम 17 अप्रैल यानी रामनवमी तक जारी रहेगा। पिछले सप्ताह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने पार्टी के सभी विधायकों व सांसदों को निर्देश दिया था कि देशभर के श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या स्थित राम मंदिर की यात्रा करवाने की व्यवस्था की जाए। भाजपा सूत्रों के अनुसार लोकसभा के 543 क्षेत्रों में से प्रत्येक क्षेत्र से कम-से-कम 10 हजार लोगों को अयोध्या की यात्रा कराने की योजना बनाई जा रही है। यह अभियान अगले महीने से प्रारंभ कर दिया जाएगा।

लखनऊ से प्रकाशित **जदीद मरकज** (28 जनवरी) ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर

प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही भाजपा ने मंदिर मुद्दे को भुनाने का काम शुरू कर दिया है। इस उद्देश्य से उसने देश के हर घर तक अक्षत व प्रसाद पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। इसके अतिरिक्त देश के 450 जिलों से प्रतिदिन 25 ट्रेनों के जरिए श्रद्धालुओं को राम मंदिर के दर्शन के लिए अयोध्या लाने और वापस पहुंचाने की योजना बनाई गई है। इन कार्यक्रमों की वजह से भाजपा के नेताओं के हौसले बुलंद हैं। यही कारण है कि पार्टी ने नारा दिया है, 'तीसरी बार मोदी सरकार, अबकी बार 400 पार'। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी का ख्याल है कि 1984 में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 414 सीटें जीती थीं। इस बार वे इस रिकॉर्ड को तोड़कर लगभग 450 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। समाचारपत्र ने प्रधानमंत्री मोदी के इस दावे पर संदेह प्रकट किया है। समाचारपत्र ने कहा है कि इस बार दक्षिण के साथ-साथ पूरब में भी भाजपा बहुत कमजोर है। ऐसे में उसे 400 से अधिक सीटें कहां से मिलेंगी। भाजपा मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और असम में ताकतवर दिखती है।

**अखबार-ए-मशरिक** (1 फरवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद भाजपा ने अपना पैंतरा बदला है और वह पसमांदा मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए चिंतित है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का कहना है कि भाजपा ने एक धार्मिक मुद्दे को सियासी तमाशे में बदल दिया है और इसका उद्देश्य हिंदू वोटों को मजबूत करना है। इसकी प्रतिक्रिया यह होगी कि मुसलमान हर जगह भाजपा का विरोध करेंगे और सेक्युलर पार्टियों को अपने वोट देंगे। इससे साफ है कि चुनाव लड़ने वाली पार्टियों को मुसलमानों के वोटों की ताकत का अहसास हो गया है।

उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा का चुनावी अभियान 'शुक्रिया मोदी भाईजान' के शीर्षक से शुरू किया जा रहा है। जबकि पश्चिम बंगाल में इस अभियान का शीर्षक होगा 'शुक्रिया मोदी दादा'। वहीं, दक्षिण भारत में इस अभियान का शीर्षक होगा 'शुक्रिया मोदी अन्ना', तो महाराष्ट्र में इस अभियान का शीर्षक होगा 'शुक्रिया मोदी भाऊ'। इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियां इस बात का प्रचार कर रही हैं कि मोदी सरकार सेक्युलर नहीं है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह और उसके प्रचार पर सरकार ने दस बिलियन डॉलर खर्च किए हैं। समाचारपत्र का कहना है कि भाजपा लोकसभा चुनाव के लिए अपना एजेंडा तय कर चुकी है। मजहब के नाम पर भावना भड़काकर वोट लेना बहुत आसान है। यही खेल मोदी सरकार भी खेल रही है।

# पाकिस्तान और ईरान का एक दूसरे पर मिसाइलों से हमला

**इंकलाब** (17 जनवरी) के अनुसार ईरानी सेना ने पाकिस्तानी प्रांत बलूचिस्तान के एक सीमावर्ती गांव पर मिसाइल से हमला किया है। इस हमले में दो बच्चों की मौत हो गई है और तीन अन्य घायल हो गए हैं। ईरान के इस हमले पर पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने नाराजगी प्रकट की है और ईरान से अपने राजदूत को वापस बुलाने की घोषणा कर दी है। पाकिस्तान ने यह भी घोषणा की है कि वह भविष्य में ईरान के साथ किसी भी तरह की वार्ता नहीं करेगा। दोनों देशों के बीच वार्ताओं का जो दौर चल रहा था उसे भी स्थगित कर दिया गया है।

पाकिस्तान पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले के बाद ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर-अब्दुल्लाहियन ने कहा है कि हमने पाकिस्तान में आतंकवादियों के ठिकानों को अपना निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि आतंकी काफी समय से ईरान पर हमला कर रहे थे और उनका संबंध इजरायल से है। ईरान के रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा घराई अष्टियानी ने कहा है कि हम ईरान पर होने वाले किसी भी खतरे का हमेशा मुंहतोड़ जवाब देंगे। अपने क्षेत्र की रक्षा करना हमारा कानूनी और जायज अधिकार है। ईरान ने दावा किया है कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश अल-अदल के दो ठिकानों को मिसाइल और ड्रोन हमलो से तबाह कर दिया गया है। ईरानी संवाद समिति 'तस्नीम' ने इस बात की पुष्टि की है कि ईरान ने पाकिस्तानी बलूचिस्तान के कोह-ए-सब्ज क्षेत्र में मिसाइलों से हमला किया है। यह क्षेत्र आतंकी संगठन जैश अल-अदल के सबसे बड़े अड्डों में से एक है।

वहीं, 15 जनवरी को ईरान की मिलिशिया पासदारान-ए-इंकलाब ने इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में स्थित एरबिल पर 11 बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे। इस संगठन ने यह भी दावा किया था कि उसने इराक स्थित इजरायली गुप्तचर एजेंसी मोसाद

के अड्डों को अपना निशाना बनाया है। अगले ही दिन इसी संगठन ने सीरिया पर भी मिसाइल से हमला किया और यह दावा किया कि उसने वहां पर आईएसआईएस के गुप्त ठिकानों को तबाह कर दिया है।

पाकिस्तान सरकार ने ईरान पर यह आरोप लगाया है कि उसने बिना वजह पाकिस्तानी सीमा में हमला करके पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन किया है और इसे किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही पाकिस्तान ने ईरान के राजदूत को वापस ईरान लौटने का आदेश दिया है। चाबहार बंदरगाह के बारे में पाकिस्तान और ईरान के बीच होने वाली वार्ता को भी पाकिस्तान ने स्थगित कर दिया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम ईरान के साथ भविष्य में होने वाली किसी भी वार्ता में अपना प्रतिनिधि नहीं भेजेंगे।

विदेशी संवाद समितियों के अनुसार जैश अल-अदल एक इस्लामी आतंकी संगठन है और यह ईरान के सख्त खिलाफ है। इस आतंकी संगठन का संबंध सुन्नी मुसलमानों से है। इसका यह दावा है कि ईरान की शिया सरकार द्वारा ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान में सुन्नियों का जो उत्पीड़न किया जा रहा है उसका मुंहतोड़ जवाब देना इस संगठन का इस्लामी कर्तव्य है। गौरतलब है कि इस आतंकी संगठन की स्थापना साल 2012 में हुई थी। इससे पूर्व यह आतंकी संगठन जुंदल्लाह के नाम से पाकिस्तान और ईरान की सीमा पर सक्रिय था। साल 2010 में ईरान सरकार ने जुंदल्लाह के तत्कालीन प्रमुख अब्दुल मलिक रिगी को आतंकवादी गतिविधियों में भाग लेने के कारण फांसी पर लटका दिया था। उस पर ईरान के प्रांत सिस्तान और बलूचिस्तान में एक दर्जन से अधिक बम धमाके करने और ईरानी सेना पर हमले करने का आरोप लगाया गया था। यह भी दावा किया गया था कि रिगी अमेरिका और ब्रिटेन का एजेंट है और वह ईरान की इस्लामी सरकार को अस्थिर करना चाहता है।

**मुंबई उर्दू न्यूज** (18 जनवरी) के अनुसार पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने कहा है कि इस हमले की जिम्मेवारी पूरी तरह से ईरान पर है और अब ईरान अपनी आक्रामकता को छिपाने के लिए जैश अल-अदल के अड्डे के बारे में झूठा आरोप लगा रहा है। गौरतलब है कि हाल ही में सुन्नी आतंकी संगठन आईएसआईएस ने ईरान में दो धमाके किए थे, जिनमें 200 से अधिक लोग मारे गए थे। ईरान की सरकारी संवाद समिति 'आईआरएनए' ने दावा किया था कि इन हमलों में पाकिस्तान में बने मिसाइल और ड्रोन इस्तेमाल किए गए हैं। जैश अल-अदल या आर्मी ऑफ जस्टिस ईरान और पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय है। ईरान सरकार इस सुन्नी आतंकी संगठन पर यह आरोप लगा चुकी है कि इसने ईरान में एक दर्जन से अधिक धमाके किए हैं और ईरानी पुलिस के कई कर्मचारियों का भी अपहरण किया है। पाकिस्तानी सेना के एक प्रवक्ता ने बताया कि ईरानी हमलों से बलूचिस्तान के जिला पंजगुर स्थित एक मस्जिद को क्षति पहुंची है।

**हमारा समाज** (19 जनवरी) के अनुसार ईरान द्वारा पाकिस्तान पर हमले के अगले दिन

पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान के प्रांत सिस्तान और बलूचिस्तान के अनेक स्थानों पर मिसाइलों से हमला किया है। ईरानी मीडिया ने इन हमलों में तीन महिला और चार बच्चे समेत नौ लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। पाकिस्तान ने यह दावा किया है कि उसने ईरान स्थित आतंकियों के उन ठिकानों को अपना निशाना बनाया है, जो पाकिस्तान पर आतंकी हमलों के लिए ईरान की भूमि का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ईरानी मीडिया के अनुसार पाकिस्तान के इन हमलों में मरने वाले नागरिक ईरान के नहीं है। जबकि पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि गुप्तचर सूत्रों से प्राप्त सूचना के आधार पर आतंकी ठिकानों पर लक्षित हमले किए गए हैं और इन हमलों में कई आतंकी मारे गए हैं। पाकिस्तान ने इस सैन्य ऑपरेशन का नाम 'मार्ग बार सर्माचार' रखा है। पाकिस्तान सरकार के प्रवक्ता ने कहा है कि ये आतंकी ईरान स्थित अपने ठिकानों से पाकिस्तानी क्षेत्र पर हमला करके बेगुनाह पाकिस्तानियों का खून बहाते रहे हैं। प्रवक्ता ने कहा कि यह ऑपरेशन काफी जटिल था, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने इसे कुशलतापूर्वक कार्यान्वित किया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने इस ऑपरेशन के बारे में और अधिक जानकारी देने से इंकार कर दिया है।

**हमारा समाज** (19 जनवरी) के अनुसार ईरान पर किए गए हमलों में पाकिस्तानी सेना ने पांच तरह के अस्त्र-शस्त्रों का इस्तेमाल किया है, जिनमें ड्रोन, रॉकेट, मिसाइल और अत्याधुनिक हथियार शामिल हैं। पाकिस्तान ने यह भी दावा किया है कि जिन आतंकी संगठनों को पाकिस्तानी सेना ने अपना निशाना बनाया है, उनमें बलूचिस्तान लिब्रेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिब्रेशन फ्रंट शामिल हैं।

**उर्दू टाइम्स** (18 जनवरी) के अनुसार चीन के प्रवक्ता ने पाकिस्तान और ईरान से धैर्य बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि चीन अपने इन दोनों दोस्तों के बीच पैदा हुई गलतफहमी को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। चीनी प्रवक्ता ने कहा कि चीन इन दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करने के लिए भी तैयार है।

**रोजनामा सहारा** (19 जनवरी) के अनुसार अफगानिस्तान और तुर्किये ने भी दोनों देशों से धैर्य से काम लेने की अपील की है।

**सियासत** (21 जनवरी) के अनुसार पाकिस्तानी हमले के बाद ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय कर दिया है। उसने पाकिस्तान से सटे ईरानी क्षेत्रों में दो दिन तक सैन्य अभ्यास भी किए हैं। ईरानी मीडिया के अनुसार इस सैन्य अभ्यास में ईरान की वायु सेना, जल सेना और एयरोस्पेस फोर्स ने भाग लिया है।

**सियासत** (19 जनवरी) के अनुसार पाकिस्तान के सैनिक मुख्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा है कि पाकिस्तानी सेना पूरी तरह से तैयार और हाई अर्ल्ट पर है। अगर ईरान ने कोई भी आक्रामक कार्रवाई की तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान अपनी सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों के मुद्दे पर किसी भी विदेशी शक्ति से कोई समझौता नहीं करेगा। प्रवक्ता ने कहा कि हालांकि ईरान हमारा पड़ोसी और भाई देश है और हम सभी देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहते हैं। रूस ने पाकिस्तान और ईरान की सरकारों को सलाह दी है कि वे विदेशी ताकतों द्वारा संचालित किसी भी भड़काऊ कार्रवाई का शिकार न बनें।

**सियासत** (23 जनवरी) के अनुसार पाकिस्तान और ईरान के बीच तनाव में कमी आई है और दोनों देशों ने अपने-अपने राजदूतों को फिर से अपने कार्य को संभालने का निर्देश दिया है।

**हमारा समाज** (19 जनवरी) के अनुसार पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने ईरानी हमले की निंदा की है और दोनों देशों के बीच आए तनाव के लिए पाकिस्तान के वर्तमान शासकों को दोषी ठहराया है।

**मुंबई उर्दू न्यूज** (18 जनवरी) के अनुसार भारत सरकार के एक प्रवक्ता ने ईरान की ओर से पाकिस्तान में की गई सैन्य कार्रवाई को उसका अंदरूनी मामला बताया है। प्रवक्ता ने कहा कि भारत इस स्थिति पर गहरी नजर रख रहा है और ईरान के इस हमले से यह साबित हो गया है कि पाकिस्तान आतंकवादियों का अड्डा बना हुआ है।

**उर्दू टाइम्स** (29 जनवरी) के अनुसार पाकिस्तान और ईरान के बीच के तनाव को कम करने का जो प्रयास किया जा रहा था उसे हाल की एक घटना के कारण भारी धक्का लगा है। ईरानी मीडिया के अनुसार तीन अज्ञात हमलावरों ने ईरान में काम करने वाले पाकिस्तानी मजदूरों पर हमला करके नौ लोगों की हत्या कर दी है। ईरान सरकार ने यह घोषणा की है कि इस हमले की जांच ईरान की गुप्तचर एजेंसियां कर रही हैं और दोषियों को शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

**सियासत** (19 जनवरी) ने अपने संपादकीय में इन घटनाओं पर चिंता प्रकट की है। समाचारपत्र ने इन घटनाओं के पीछे अमेरिका और पश्चिमी देशों का हाथ बताया है। समाचारपत्र ने यह मांग की है कि आतंकवादियों के उन्मूलन के लिए दोनों देश संयुक्त रूप से कार्रवाई करें।

**इत्तेमाद** (19 जनवरी) ने अपने संपादकीय में यह स्वीकार किया है कि शिया और सुन्नियों के बीच तनाव बढ़ रहा है। जिस तरह से दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे के निर्दोष लोगों की हत्या कर रहे हैं वह निश्चित रूप से निंदनीय है। साल 2008 से एक सुन्नी आतंकी संगठन जुंदल्लाह ईरान की सेना को अपना निशाना बनाता आ रहा है। यह संगठन ईरानी सेना के कई वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को अपना निशाना बना चुका है। ईरान सरकार का दावा है कि इस आतंकी संगठन के बारे में उसने कई बार पाकिस्तान सरकार को सूचित किया था, लेकिन पाकिस्तान इनके खिलाफ कोई कारगर कदम उठाने में विफल रहा है। अब ईरान को स्वयं इन आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी है। पाकिस्तान सरकार ने ईरान सरकार के इस आरोप का खंडन किया है कि ईरान में निर्दोष लोगों के खून की होली खेलने के लिए पाकिस्तान की भूमि का इस्तेमाल किया जा रहा है। समाचारपत्र ने कहा है कि हाल ही में जिस तरह से आतंकी संगठन आईएसआईएस द्वारा ईरान में अनेक निर्दोष लोगों की हत्या की गई है, शायद उसके कारण ही ईरान को पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों को अपना निशाना बनाना पड़ा है।

**हमारा समाज** (19 जनवरी) ने अपने संपादकीय में ईरान से अनुरोध किया है कि वह धैर्य से काम ले और कोई ऐसी कार्रवाई न करे जिससे इस क्षेत्र में तनाव बढ़े।

**उर्दू टाइम्स** (18 जनवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि पाकिस्तान और ईरान के संबंध शुरू से ही मैत्रीपूर्ण रहे हैं। समाचारपत्र ने यह संदेह व्यक्त किया है कि हालांकि जैश अल-अदल बलूचिस्तान की आजादी के लिए संघर्षशील होने का दावा करता है, मगर असल में इसे अमेरिका का समर्थन प्राप्त है। समाचारपत्र ने दावा किया है कि इजरायल और हमास के युद्ध में ईरान ने जिस तरह से अमेरिका का खुलकर विरोध किया है उसका बदला लेने के लिए अमेरिका ने इस संगठन का सहारा लिया है।

**हिंदुस्तान एक्सप्रेस** (21 जनवरी) ने ईरान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते हुए तनाव पर चिंता प्रकट की है और इस बात पर जोर दिया है कि इस तनाव को खत्म करने के लिए दोनों देशों को तुरंत पहल करनी चाहिए।

# अफगानिस्तान में नौकरी करने के लिए महिलाओं का विवाहित होना जरूरी

**इत्तेमाद** (24 जनवरी) के अनुसार अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने नौकरी करने की इच्छुक महिलाओं के लिए एक नई शर्त लगा दी है। अफगान सरकार के प्रवक्ता ने कहा है कि अविवाहित महिला को नौकरी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि महिलाएं नौकरी करने की इच्छुक हैं तो उन्हें पहले निकाह करना होगा। इस्लामी शरिया में किसी भी अविवाहित महिला का पुरुषों के साथ मेलजोल बढ़ाने या उनके साथ एक ही दफ्तर में नौकरी करने पर प्रतिबंध है। गौरतलब है कि अगस्त 2021 में सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने महिलाओं और लड़कियों पर अनेक तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं। इन प्रतिबंधों के अनुसार कोई भी लड़की छठी कक्षा से ज्यादा की पढ़ाई नहीं कर सकती है। बिना हिजाब या बुर्का पहने महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर जाने पर गिरफ्तार कर लिया जाता है और शरिया के तहत निर्धारित इस्लामी लिबास को पहनना उनके लिए अनिवार्य है। इस लिबास में उनके शरीर का कोई भी हिस्सा दिखाई नहीं देना चाहिए और पूरा शरीर बुर्के से ढका होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अफगानिस्तान में महिलाओं के ब्यूटी पार्लर जाने पर भी प्रतिबंध है।

अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबान प्रशासन अविवाहित महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। हाल ही में तीन महिला स्वास्थ्यकर्मियों को इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि वे बिना किसी पुरुष रिश्तेदार के अपनी ड्यूटी पर जा रही थीं। तालिबान ने यह भी आदेश दिया है कि कोई भी महिला अस्पताल या डिस्पेंसरी में जाकर अपना इलाज नहीं करवा सकती है। संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन की रिपोर्ट के अनुसार पिछले महीने पुलिस ने अफगानिस्तान के अनेक क्षेत्रों में छापे मारकर उन महिलाओं को गिरफ्तार किया था, जो बिना किसी पुरुष रिश्तेदार के बसों में यात्रा कर रही थीं। इसके साथ ही कई दर्जन बस चालकों को भी इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि उन्होंने अपनी बसों में इन महिलाओं को यात्रा करने की अनुमति दी थी। ये महिलाएं अभी जेल में बंद हैं। कुछ दर्जन महिलाओं को गर्भ निरोधक गोलियां खरीदने पर भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त 100 से अधिक पुरुषों को कंडोम खरीदने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। तालिबान सरकार का कहना है कि गर्भ निरोधक उपाय करना इस्लाम और शरिया के खिलाफ है।

संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट पर टिप्पणी करते हुए तालिबान के मुख्य प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि इस रिपोर्ट को मनमाने ढंग से उन लोगों ने तैयार किया है, जिन्हें इस्लाम और शरिया की कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने आरोप

लगाया है कि संयुक्त राष्ट्र इस्लामी कानूनों और शरिया में अनुचित हस्तक्षेप कर रहा है। मुजाहिद ने कहा कि अफगानिस्तान में कट्टर इस्लामी शासन होने के कारण सरकार के लिए यह जरूरी है कि वह सभी पुरुषों और महिलाओं पर शरिया कानूनों को लागू करे। अगर कोई भी विदेशी संगठन हमारे मजहब और उसके कानूनों में हस्तक्षेप करता है तो उसे इस देश में काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देश जानबूझकर शरिया में हस्तक्षेप करके विश्वभर में इस्लाम और शरीयत को बदनाम कर रहे हैं।

## खैबर पख्तूनख्वा में अतिवादियों द्वारा नाइयों की सामूहिक हत्या

**अवधनामा** (4 जनवरी) के अनुसार उत्तरी वजीरिस्तान जिले के मीर अली इलाके में इस्लामी आतंकियों ने छह नाइयों की सामूहिक हत्या कर दी है। गौरतलब है कि मीर अली कस्बा पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर स्थित है। स्थानीय पुलिस प्रमुख जमाल खान के अनुसार इन हत्याओं की जिम्मेवारी अभी तक किसी भी संगठन ने नहीं ली है। हालांकि, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस हत्याकांड के पीछे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों का हाथ हो सकता है, जिनका संबंध अफगानिस्तान में सत्तारूढ़ तालिबान से बताया जाता है। एक महीने पहले इन इस्लामी आतंकियों ने यह फरमान जारी किया था कि जो भी व्यक्ति विदेशी तरीके से दाढ़ी व बाल कटवाएगा उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा।

बताया जाता है कि इन आतंकियों ने पिछले महीने दो स्कूल अध्यापकों की हत्या इसलिए कर दी थी, क्योंकि उन्होंने अपनी दाढ़ी बनवा ली थी। कहा जा रहा है कि आतंकियों ने मीर अली कस्बे के सभी नाइयों की सामूहिक हत्या इसलिए की है ताकि भविष्य में कोई भी मुसलमान इस्लामी शरिया का उल्लंघन करके अपनी दाढ़ी व बाल को न कटवाए।

## बलूच नेताओं के रहस्यमय ढंग से लापता होने के खिलाफ अभियान

**अवधनामा** (29 जनवरी) के अनुसार पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसियां पृथकतावादी बलूच नेताओं का अपहरण करके उनकी हत्याएं कर रही हैं। बलूच यकजेहती समिति द्वारा इन हत्याओं के खिलाफ जनमत जागृत करने के लिए इस्लामाबाद में एक महीने तक सामूहिक धरना दिया गया है। इस धरने की समाप्ति के बाद बलूच नेता महरंग बलूच ने क्वेटा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसियां बलूचिस्तान में चीनियों द्वारा आर्थिक शोषण का विरोध करने वाले छात्रों और नेताओं को जिस तरह से गायब कर रही हैं, वह बेहद चिंताजनक है। ये गुप्तचर

पृथकतावादी आंदोलन को धक्का लगा है। इस संगठन की स्थापना जनवरी 2022 में की गई थी। एक वर्ष के अंदर इस संगठन से संबंधित दो हजार से अधिक लोगों को पाकिस्तान के गुप्तचर संगठनों ने गिरफ्तार किया था। सितंबर 2022 में बलूच नेशनलिस्ट आर्मी के तत्कालीन

एजेंसियां पाकिस्तान सरकार के इशारे पर बलूच कार्यकर्ताओं की हत्या करने के बाद उनके शवों को सड़कों पर फेंक देती हैं और यह सिलसिला पिछले दो सालों से जारी है। अब तक दस हजार से अधिक बलूच कार्यकर्ता रहस्यमय ढंग से लापता हो चुके हैं। बलूच नेताओं ने इस संदर्भ में अदालतों का भी दरवाजा खटखटाया था, लेकिन गुप्तचर एजेंसियों ने इन रहस्यमयी हत्याओं की जिम्मेवारी लेने से साफ इंकार कर दिया था।

महरंग बलूच ने कहा कि इस्लामाबाद के इस धरने में यह मांग की गई है कि गुप्तचर एजेंसियों ने जिन बलूच कार्यकर्ताओं को गैरकानूनी तरीके से बंधक बना रखा है उन्हें अदालतों में पेश किया जाए, ताकि इन हत्याओं के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि हाल ही में एक प्रमुख बलूच नेता बालाच मोला बख्श का शव इस्लामाबाद के एक सड़क पर मिला था। यह बलूच नेता एक महीने पहले रहस्यमय ढंग से गायब हो गया था। उन्होंने कहा कि इन हत्याओं के लिए आतंकवाद निरोधक संगठन दोषी है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की थी कि रहस्यमय ढंग से गायब होने वाले लोगों की न्यायिक जांच करवाई जाए, मगर उनकी इस मांग को पकिस्तानी शासकों ने स्वीकार नहीं किया है।

इसी समाचारपत्र में 11 जनवरी को प्रकाशित एक समाचार में यह दावा किया गया है कि बलूच नेशनलिस्ट आर्मी के प्रमुख सरफराज बंगुलजई के आत्मसमर्पण के बाद बलूच

प्रमुख गुलजार इमाम को तुर्किये सरकार ने गिरफ्तार करके पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों के हवाले कर दिया था। इसके बाद बलूच नेशनलिस्ट आर्मी के विभिन्न नेताओं के बीच गंभीर मतभेद पैदा हो गए थे। इस संगठन के अधिकांश नेताओं ने इससे अपना नाता तोड़ कर अल्लाह नजर बलूच की बलूच लिब्रेशन फ्रंट और बशीर जेब की बलूच लिबरेशन आर्मी में शामिल हो गए थे।

गौरतलब है कि सरफराज बंगुलजई ने 20 दिसंबर 2023 को क्वेटा में बलूचिस्तान के कार्यवाहक गृह मंत्री जुबैर जमाली के सामने अपने 70 साथियों सहित आत्मसमर्पण किया था। बंगुलजई ने इस अवसर पर संवाददाताओं को संबोधित करते हुए यह आरोप लगाया था कि बलूच पृथकतावादी संगठनों को पड़ोसी देश भारत और अफगानिस्तान का समर्थन प्राप्त है। विदेशी संगठनों के इशारे पर पृथकतावादी संगठन पाकिस्तानी सेना और पुलिस को अपना निशाना बनाते रहे हैं। उन्होंने विदेशों में शरण लेने वाले बलूच पृथकतावादी नेताओं से अपील की थी कि वे बलूचिस्तान के विकास की गति को तेज करने के लिए पाकिस्तान सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर दें। पाकिस्तान सरकार ने उन्हें यह आश्वासन दिया है कि आत्मसमर्पण करने वाले पृथकतावादी नेताओं के साथ नरम व्यवहार किया जाएगा।

55 वर्षीय सरफराज बंगुलजई ने दावा किया था कि उनका संबंध क्वेटा के जिला मस्तुंग से है। वे 1991-2009 तक बलूचिस्तान में सरकारी

कर्मचारी थे। इसके बाद वे हर्बियार मर्री के पृथकतावादी संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी में शामिल हो गए थे। बाद में मर्री के साथ मतभेदों के कारण वे यूनाइटेड बलूच आर्मी (यूबीए) नामक नए पृथकतावादी संगठन में शामिल हो गए थे। बंगुलजई ने कहा कि पाकिस्तानी सेना और पुलिस पर हुए अनेक हमलों में उनका हाथ रहा है। उन्होंने यह आरोप लगाया कि यूबीए के नेता विदेशों में रहकर पड़ोसी देशों की विदेशी एजेंसियों के सहयोग से बलूचिस्तान में सरकार विरोधी अभियान चला रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस समय पृथकतावादी बलूच संगठन बलूच रिपब्लिकन आर्मी के प्रमुख ब्रह्मदाग बुग्ती हैं, जो बलूच विद्रोहियों के प्रमुख नेता नवाब अकबर बुगती के पोते हैं। उन्होंने इस संवाददाता सम्मेलन में यह भी आरोप लगाया कि ब्रह्मदाग बुगती का संबंध पड़ोसी देशों की सरकारों से है और वे उनकी कठपुतली के रूप में बलूचिस्तान में सरकारी कर्मचारियों के खून की होली खेल रहे हैं।

## ब्रिटेन में छात्रों को नमाज पढ़ने से रोकने पर प्रिंसिपल अदालत में पेश

**रोजनामा सहारा** (18 जनवरी) के अनुसार ब्रिटेन में एक स्कूल प्रिंसिपल ने स्कूल परिसर में छात्रों को नमाज पढ़ने से रोक दिया था। अल अरेबिया की रिपोर्ट के अनुसार स्कूल के एक मुस्लिम छात्र ने ब्रिटेन के उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। इस याचिका में स्कूल परिसर में नमाज पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को रद्द करने और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने पर प्रिंसिपल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। गौरतलब है कि माइकेला कम्युनिटी स्कूल उत्तरी लंदन के ब्रेंट क्षेत्र में स्थित है। इस स्कूल का संचालन कथरीन बीरबलसिंह करती हैं। स्कूल की प्रिंसिपल का कहना है कि स्कूल परिसर में नमाज की अनुमति देना स्कूल नियमों के विरुद्ध है, इसलिए उन्होंने बच्चों को नमाज पढ़ने से रोका था। इस घटना के बाद इस्लामिक अतिवादियों द्वारा उन्हें जान से मारने की निरंतर धमकियां दी जा रही हैं।

स्कूल प्रशासन का कहना है कि मार्च 2023 में स्कूल परिसर में तीस मुस्लिम बच्चों ने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया था। घुटने टेकने व सजदा करने के लिए उन्होंने स्कूल यूनिफॉर्म का इस्तेमाल किया था। क्योंकि नमाज पढ़ने के लिए स्कूल प्रबंधकों ने बच्चों को कालीन लाने की इजाजत नहीं दी थी, इसलिए प्रिंसिपल ने उन्हें स्कूल परिसर में नमाज अदा करने से रोक दिया था। छात्र की वकील सारा हनेट ने कहा है कि किसी को भी नमाज पढ़ने से रोकना उसकी धार्मिक आस्था में हस्तक्षेप है और यह ब्रिटिश नीति का खुलेआम उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आस्था के अनुसार उपासना करने की अनुमति प्राप्त है।

# ईरान द्वारा इराक स्थित इजरायल और अमेरिकी अड्डों पर हमले

**इंकलाब** (17 जनवरी) के अनुसार ईरान ने दावा किया है कि उसकी सेना ने इराक स्थित इजरायल के गुप्तचर संगठन मोसाद के मुख्यालय, अमेरिकी वाणिज्य दूतावास और कुर्द विद्रोहियों के अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए हैं। जबकि सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर भी हमले किए गए हैं। ईरान के सरकारी सूत्रों के अनुसार इन हमलों का संचालन ईरानी मिलिशिया पासदारान-ए-इंकलाब ने किया था। ईरान की सरकारी संवाद समिति का दावा है कि ईरान ने इराक के एरबिल में इजरायल की गुप्तचर एजेंसी मोसाद के मुख्यालय और ईरान विरोधी सैन्य अड्डों को अपना निशाना बनाया है। ये हमले अमेरिका के इशारे पर इस्लामी आतंकी संगठन आईएसआईएस द्वारा केरमान में सैकड़ों ईरानियों के खून की होली खेलने के जवाब में किए गए हैं। इराक की कुर्दिस्तान सुरक्षा परिषद ने यह स्वीकार किया है कि ईरान के मिसाइल हमलों में दो दर्जन से अधिक कुर्द मारे गए हैं। जबकि कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी इन हमलों की पुष्टि की है।

गौरतलब है कि तीन जनवरी को जनरल कासिम सुलेमानी की बरसी के मौके पर उनके मजार पर हुए आईएसआईएस के आत्मघाती हमलों में लगभग 200 ईरानी नागरिक मारे गए थे। अमेरिका ने इराक के एरबिल नगर पर हुए हमले के लिए ईरान की निंदा की है और कहा है कि इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। एक अन्य समाचार के अनुसार ईरानी हमलों के खिलाफ विरोध प्रकट करते हुए इराक ने ईरान से अपने राजदूत नासिर अब्देल मोहसिन को वापस बुला लिया है। इसके अतिरिक्त ईरान समर्थक सशस्त्र मिलिशिया संगठनों ने सीरिया में अमेरिकी सैन्य अड्डा कोनिको बेस पर हमला किया। इस हमले में सौ से अधिक अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने का भी दावा किया गया है।

**रोजनामा सहारा** (22 जनवरी) के अनुसार सीरिया की राजधानी दमिश्क में पासदारान-ए-इंकलाब के उच्चाधिकारियों की बैठक पर हुए इजरायली हमले में ईरान के सैन्य सलाहकार होज्जतुल्लाह ओमिदवार, अली अगजादेह, हुसैन मोहम्मदी और सईद करीमी मारे गए हैं। ब्रिटिश गुप्तचर सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि इस इजरायली हमले में ईरान के कम-से-कम एक दर्जन से अधिक उच्चाधिकारी मारे गए हैं।

**इंकलाब** (22 जनवरी) के अनुसार ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने घोषणा की है कि ईरान इजरायली हमले में मारे गए अपने उच्चाधिकारियों की मौत का बदला लेगा। एक अन्य हमले में इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में एक कार को अपना निशाना बनाया, जिसमें हमास के दो प्रमुख सेनापति मारे गए। हालांकि, हमास ने इनके मारे जाने की पुष्टि तो की है, लेकिन उनके नामों की घोषणा नहीं की है।

**इत्तेमाद** (25 जनवरी) के अनुसार अमेरिकी सेना ने इराक में ईरान समर्थक मिलिशिया गुट के सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। ये हमले ईरान के हमलों के जवाब में किए गए हैं।

## चाबहार बंदरगाह परियोजना पर भारत और ईरान के बीच वार्ता

**इंकलाब** (16 जनवरी) के अनुसार भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने ईरान के मंत्री मेहरदाद बजरपाश से तेहरान में मुलाकात की है। बताया जाता है कि इस मुलाकात में चाबहार बंदरगाह परियोजना हेतु लंबी अवधि के सहयोग और अन्य मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई। गौरतलब है कि भारत चाबहार परियोजना के संबंध में ईरान के साथ फिर से वार्ता शुरू करने पर जोर दे रहा है। भारतीय विदेश मंत्री ने इस संदर्भ में ईरान के विदेश मंत्री से भी लंबी बातचीत की है। इसके अतिरिक्त लाल सागर में हूती विद्रोहियों की नाकेबंदी और उनके खिलाफ अमेरिकी गठबंधन

द्वारा किए जा रहे हमलों के बारे में भी दोनों नेताओं के बीच विस्तृत चर्चा हुई है।

**इत्तेमाद** (18 जनवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि हाल ही में मध्य पूर्व की राजनीति ने जो मोड़ लिया है उसके कारण वहां पर चीन और रूस के बढ़ते हुए प्रभाव को गहरा झटका लगा है। अब इस क्षेत्र में एक बार फिर से अमेरिका का प्रभाव बढ़ गया है। जब हूती विद्रोही लाल सागर में इजरायल और उसके सहयोगी देशों के जहाजों को अपना निशाना बना रहे हैं, ऐसी स्थिति में भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर के ईरान दौरे के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उन्होंने दोनों देशों के बीच के रिश्तों को और अधिक मजबूत बनाने पर जोर दिया है। कहा जाता है कि भारतीय विदेश मंत्री का यह दौरा लाल सागर में हूती हमलों को रोकने हेतु ईरान पर दबाव बनाने के लिए कराया गया है। वहीं, इजरायल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के मध्य पूर्व के अन्य देशों में भी फैल जाने का खतरा है। इस संदर्भ में ईरान की भूमिका काफी महत्त्वपूर्ण है। उस पर यह आरोप लगाया जाता है कि वह हमास, हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों को न केवल आर्थिक और सैन्य सहायता ही उपलब्ध कराता है, बल्कि उसके निर्देश पर ये संगठन कार्रवाईयां भी करते हैं। ईरान और भारत के बीच राजनयिक और व्यापारिक रिश्ते हैं। इनमें उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा और चाबहार परियोजना महत्त्वपूर्ण है।

गौरतलब है कि एस. जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के बीच हुई बातचीत के बाद उनके ईरान दौरे का महत्व बढ़ गया है। ईरान को न केवल चीन और रूस का ही समर्थन प्राप्त है, बल्कि वह स्वयं भी काफी ताकतवर है। इराक और सीरिया में उसके प्रभाव से इंकार नहीं किया जा सकता है। हाल ही में पाकिस्तान और ईरान के संबंधों में जो तनाव आया है उसे देखते हुए भारतीय विदेश मंत्री के ईरान दौरे का महत्व और भी बढ़ जाता है।

**पृष्ठभूमि :** चाबहार बंदरगाह पाकिस्तान के बंदरगाह ग्वादर के नजदीक स्थित है। ग्वादर बंदरगाह को हाल ही में चीन ने पाकिस्तान के लिए विकसित किया है। चाबहार ईरान और भारत दोनों के लिए महत्त्वपूर्ण है। भारत का यह प्रयास है कि वह इस व्यापारिक गलियारे के जरिए अफगानिस्तान से अपना सीधा संबंध स्थापित करे। यह बंदरगाह प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा से भी संबंधित है। चाबहार बंदरगाह के विकास में भारत की भागीदारी साल 2002 में शुरू हुई थी। तब इस संदर्भ में ईरान के तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हसन रूहानी की भारत के तत्कालीन सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्रा से बातचीत शुरू हुई थी। इसके बाद ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति सैयद मोहम्मद खातमी भारत दौरे पर आए और उन्होंने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से चाबहार बंदरगाह को लेकर लंबी बातचीत की। इसके साथ ही इस बंदरगाह को विकसित करने के लिए भारत और ईरान के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर भी हुए थे।

भारत के लिए इस परियोजना का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है, क्योंकि चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को विकसित करने

का कार्य प्रारंभ कर दिया था। चाबहार बंदरगाह को तेजी से विकसित करने के लिए भारत, अफगानिस्तान और ईरान के बीच 2016 में एक समझौता भी हुआ था। दिसंबर 2017 में शाहिद बेहेश्टी बंदरगाह के पहले चरण का उद्घाटन किया गया और इसी साल भारत ने चाबहार के माध्यम से अफगानिस्तान को गेहूं की पहली खेप भेजी। ईरान और अमेरिका के बिगड़ते हुए रिश्तों के कारण इस परियोजना के विकास में आशा के अनुरूप प्रगति नहीं हुई। हाल ही में पाकिस्तान और ईरान के बीच उत्पन्न हुए तनाव को देखते हुए चाबहार परियोजना में ईरान और भारत के बीच नए अध्याय की शुरुआत होने की आशा की जा सकती है।

## ओआईसी द्वारा अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की निंदा

**सहाफत** (25 जनवरी) के अनुसार इस्लामी सहयोग संगठन (ओआईसी) ने अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को ध्वस्त की गई पांच शताब्दी पुरानी बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर का निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की निंदा की है। ओआईसी ने एक बयान में कहा है कि भारत के शहर अयोध्या में जिस जगह पर पहले बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी, वहीं पर राम मंदिर बनाना और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होना बेहद चिंता का विषय है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। गौरतलब है कि 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अयोध्या में बने नए राम मंदिर का उद्घाटन किया था। इसके अगले ही दिन ओआईसी ने मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर बनाए जाने की कड़े शब्दों में निंदा की है। ओआईसी ने अपने बयान में कहा है कि ओआईसी देशों के विदेश मंत्रियों के काउंसिल की पिछली बैठकों में भारत सरकार के इस कदम की निंदा की गई थी। इसका लक्ष्य बाबरी मस्जिद जैसे महत्त्वपूर्ण इस्लामी स्थलों को मिटाना है। बाबरी मस्जिद उसी स्थान पर पिछले पांच शताब्दियों से खड़ी थी, जहां पर अब राम मंदिर का निर्माण किया गया है।

**टिप्पणी:** ओआईसी मुस्लिम देशों का एक संगठन है और इसके कुल 57 देश सदस्य हैं। ओआईसी में सऊदी अरब का दबदबा है। हालांकि,

सऊदी अरब दुनिया के उन शीर्ष दस देशों में भी शामिल नहीं है, जहां पर मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है। फिर भी मुसलमानों के पवित्र शहर मक्का और मदीना के सऊदी अरब में होने के कारण इस्लामी जगत में उसका महत्त्वपूर्ण स्थान है। वहीं, मुस्लिम आबादी के लिहाज से इंडोनेशिया और पाकिस्तान के साथ शीर्ष तीन देशों में होने के बावजूद भारत ओआईसी का सदस्य नहीं है। अमेरिकी संगठन 'प्यू रिसर्च' के अनुसार साल 2060 तक विश्व की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी भारत में होगी और दूसरे स्थान पर पाकिस्तान होगा।

उल्लेखनीय है कि साल 2006 में जब सऊदी अरब के किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज अल सऊद भारत दौरे पर आए थे तो उन्होंने कहा था कि भारत को ओआईसी में पर्यवेक्षक का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने इसका विरोध किया था। इससे पहले 1969 में मोरक्को की राजधानी रबात में यरुशलम की अल-अक्सा मस्जिद के बारे में हुए ओआईसी के सम्मेलन में भारत ने हिस्सा लिया था। तब भारत के राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। उस समय सऊदी अरब ने कहा था कि यह मुस्लिम देशों का मामला नहीं, बल्कि दुनिया के सभी मुसलमानों का मामला है। इसी आधार पर पाकिस्तान के विरोध के बावजूद भारत को निमंत्रण दिया गया था। खास बात यह है कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इस सम्मेलन को संबोधित भी किया था।

रबात सम्मेलन में भाग लेने के लिए जिस भारतीय प्रतिनिधिमंडल को भेजा गया था उसका नेतृत्व तत्कालीन केंद्रीय मंत्री फखरुद्दीन अली अहमद ने किया था। इसके बाद रबात सम्मेलन को बीच में ही छोड़कर भारतीय प्रतिनिधियों को वापस लौटना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल याह्या खान ने यह धमकी दी थी कि अगर भारत इस सम्मेलन में भाग लेगा तो पाकिस्तान इसका बहिष्कार करेगा। इसके बाद ओआईसी और भारत के रिश्तों में तनाव पैदा हो गया था। ओआईसी के चार्टर के अनुसार इस संगठन के लक्ष्यों को बढ़ावा देने के इच्छुक मुस्लिम देशों को ही इसकी सदस्यता मिलनी चाहिए। इसके बावजूद 2005 में रूस को पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया था। 1998 में थाइलैंड को भी पर्यवेक्षक का दर्जा मिला, जबकि वह बौद्ध बहुल देश है।

ओआईसी में पाकिस्तान का वर्चस्व है और इसलिए यह संगठन खुलकर पाकिस्तान के रूख का समर्थन करता रहा है। ओआईसी का कहना है कि कश्मीरियों को आत्मनिर्णय करने का अधिकार मिलना चाहिए। इसी तरह से जब भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को हटाया था तो ओआईसी ने बाकायदा प्रस्ताव पारित करके उसकी निंदा की थी और उसे भारत सरकार का एकतरफा फैसला बताया था। वहीं, जब भारतीय अदालत ने कश्मीर के पृथकतावादी नेता यासिन मलिक को

उम्र कैद की सजा दी तो ओआईसी ने उसकी भी निंदा की। भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के रसूल पर दिए बयान पर भी ओआईसी ने कड़ी आपत्ति जताई थी। उसने कहा था कि भारत में मुसलमानों के प्रति बढ़ रही नफरत और इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश एक सुनियोजित अभियान का हिस्सा है। हालांकि, ओआईसी की ओर से अपनाए गए पाकिस्तान समर्थक रूख को भारत सरकार ने हमेशा खारिज किया है।

अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पाकिस्तान ने भी निंदा की थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि भारत सरकार के सहयोग से बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर का निर्माण किया जाना और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करना भारत में बढ़ते बहुसंख्यकवाद की ओर इशारा करता है। यह भारतीय मुसलमानों को राजनीतिक और सामाजिक तौर पर हाशिए पर डालने की कोशिशों को भी दिखाता है। गिराई गई मस्जिद के स्थान पर बना राम मंदिर लंबे समय तक भारत के लोकतंत्र पर एक धब्बे की तरह रहेगा। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने कहा कि वाराणसी की ज्ञानवापी और मथुरा की शाही ईदगाह सहित ऐसी कई मस्जिदों की सूची बढती जा रही है, जिनके बाबरी की तरह ही गिराए जाने का खतरा बना हुआ है।

सबसे रोचक बात यह है कि कुछ साल पहले ओआईसी के नेतृत्व को लेकर सऊदी अरब और तुर्किये में ठन गई थी। तुर्किये ने ओआईसी के सम्मेलन का आयोजन मलेशिया में किया था, जिसका सऊदी अरब सहित 17 देशों ने बहिष्कार किया था। इस सम्मेलन के जवाब में सऊदी अरब ने रबात में ओआईसी का समानांतर सम्मेलन बुलाया था, जिसमें 37 देशों ने भाग लिया था। पाकिस्तान एक मात्र ऐसा देश था, जिसने इन दोनों सम्मेलनों में भाग लिया था। हालांकि, इस्लामी जगत के दबाव के कारण इन दोनों देशों के आपसी मतभेद फिलहाल दब गए हैं, मगर इसके बावजूद ओआईसी के नेतृत्व को लेकर इन दोनों देशों के बीच के मतभेद सामने आते रहते हैं।

सऊदी अरब का यह दावा है कि क्योंकि मुसलमानों के दो सबसे पवित्र स्थान मक्का और मदीना पर उसका नियंत्रण है, इसलिए उसे इस्लामी देशों के नेतृत्वकर्ता का दर्जा लेने का पूरा अधिकार है। जबकि तुर्किये का यह दावा है कि वह परंपरागत रूप से इस्लामी खिलाफत का उत्तराधिकारी है। गौरतलब है कि 1924 तक तुर्किये में खिलाफत-ए-उस्मानिया का मुख्यालय था और मक्का व मदीना खिलाफत-ए-उस्मानिया द्वारा नियुक्त शरीफ के नियंत्रण में थे। 1924 में अंग्रेजों के दबाव के कारण तुर्किये के तत्कालीन राष्ट्रपति कमाल अतातुर्क उर्फ मुस्तफा कमाल पाशा ने तुर्किये की नेशनल असेंबली में एक प्रस्ताव पारित करके खिलाफत-ए-उस्मानिया का खात्मा कर दिया था और तुर्किये में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने की घोषणा की गई थी।

इसके बाद अंतिम खलीफा अब्दुल मजीद द्वितीय को परिवार सहित तुर्किये से निष्कासित कर दिया गया था और उन्हें फ्रांस में शरण लेनी पड़ी थी। अब्दुल मजीद का कोई पुत्र नहीं था। उनकी केवल एक पुत्री दुर्रूशेवर सुल्तान थी। हैदराबाद के

सातवें निजाम मीर उस्मान अली खान के दिमाग में भी मुसलमानों का खलीफा बनने का भूत सवार था, इसलिए उसने अंतिम खलीफा की इकलौती पुत्री दुर्रूशेवर का निकाह अपने पुत्र प्रिंस आजम जाह से करवाया था। क्योंकि अंग्रेजों को इस्लामी खिलाफत के विवाद का फिर से उभरना पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने निजाम पर दबाव डाला और निजाम को अपने पुत्र को इस्लामी खलीफा बनाने की योजना को खटाई में डालना पड़ा।

यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्किये का खलीफा जर्मनी का सहयोगी था। उस समय पूरा मध्य पूर्व खिलाफत-ए-उस्मानिया में शामिल था और उसके नियंत्रण में सऊदी अरब के शहर मक्का और मदीना भी थे। अंग्रेजों ने कमाल अतातुर्क पर दबाव डालकर खिलाफत-ए-उस्मानिया को समाप्त करवाया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि खलीफा भविष्य में उनके किसी शत्रु देश के साथ मिलकर उनके लिए सिरदर्द बने। यही कारण है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुए समझौते के तहत इस्लामी खिलाफत को 25 देशों में विभाजित कर दिया गया और इन देशों का शासक ब्रिटेन ने अपने समर्थकों को बनाया। सऊदी अरब का शासन सऊद वंश को सौंपा गया, जो अभी सऊदी अरब में सत्तारूढ़ है।

## सऊदी अरब में शराब की दुकान खोलने की तैयारी

**रोजनामा सहारा** (25 जनवरी) के अनुसार सऊदी अरब की राजधानी रियाद में शराब की पहली दुकान खोलने की तैयारी की जा रही है। अभी इस दुकान से केवल गैर-मुस्लिम राजनयिकों को ही शराब बेची जाएगी। ब्रिटिश संवाद समिति 'रॉयटर्स' के अनुसार सऊदी अरब के इतिहास में पहली बार वहां पर शराब की बिक्री की अनुमति दी जा रही है। सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने हेतु युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने जो विजन 2030 तैयार किया है उसमें शराब की बिक्री का विशेष महत्व है। यह कहा जा रहा है कि सऊदी अरब में शराब की बिक्री की अनुमति देने से विदेशी पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा। सऊदी अरब के सरकारी सूत्रों के अनुसार शराब खरीदने के इच्छुक व्यक्तियों को 'डिप्लो' नामक ऐप पर पंजीकरण करवाना होगा और विदेश मंत्रालय से अनुमति मिलने के बाद शराब ग्राहकों के लिए एक मासिक कोटा तय किया जाएगा। जिस जगह पर शराब की यह नई दुकान खोली जा रही है वह राजधानी के उस क्षेत्र में स्थित है जहां पर विभिन्न देशों के दूतावास स्थित हैं। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि इस दुकान से अन्य गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भी शराब खरीदने की अनुमति होगी या नहीं?

उल्लेखनीय है कि सऊदी अरब में अभी भी शराब पीने या उसका भंडारण करने के खिलाफ कठोर कानून मौजूद है। इस कानून में दोषी व्यक्तियों को कोड़े मारना, जुर्माना और सजा के साथ-साथ सऊदी अरब से निष्कासित करने की भी व्यवस्था है। हाल ही में सऊदी अरब ने जो उदार नीति अपनाई है उसके अनुसार अब कोडे मारने की सजा को कैद में बदला जा रहा है। बता दें कि अब गैर-धार्मिक पर्यटकों के लिए भी सऊदी अरब के दरवाजे खोले जा रहे हैं और वहां पर सार्वजनिक रूप से संगीत का कार्यक्रम आयोजित करने की भी अनुमति दी गई है। सऊदी सरकार का मानना है कि विदेशी कंपनियों को देश में पूंजी निवेश हेतु प्रोत्साहित करने के लिए यह जरूरी है कि इन कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के खाने-पीने के मामले में उदार नीति अपनाई जाए। इससे इन विदेशी कंपनियों में काम करने वाले सऊदी नागरिकों को भी रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।

## अमेरिका द्वारा तुर्किये को एफ–16 लड़ाकू विमान बेचने की मंजूरी

**इंकलाब** (28 जनवरी) के अनुसार अमेरिका ने तुर्किये को एफ-16 लड़ाकू विमान बेचने की मंजूरी दे दी है। यह मामला काफी दिनों से खटाई में पड़ा हुआ था। अमेरिका ने तुर्किये को 40 एफ-16 लड़ाकू विमान बेचने का फैसला किया है, जिनका मूल्य 23 अरब डॉलर है। इस सौदे में एफ-16 के 79 आधुनिक किट्स भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार अमेरिकी कांग्रेस ने यूनान को भी 40 एफ-35 लड़ाकू विमान बेचने की अनुमति दी है, जिनका मूल्य 8.6 अरब डॉलर बताया जाता है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार तुर्किये ने 2020 में पहली बार अमेरिका से इन लड़ाकू विमानों के लिए अनुरोध किया था, लेकिन क्योंकि तुर्किये ने स्वीडन को नाटो में शामिल करने की अनुमति नहीं दी थी, इसलिए यह मामला खटाई में पड़ गया था। उस समय तुर्किये ने स्वीडन को नाटो का सदस्य बनाने का विरोध करते हुए कहा था कि स्वीडिश सरकार कुर्द पृथकतावादियों का समर्थन करती है। पिछले सप्ताह तुर्किये की संसद ने स्वीडन को नाटो का सदस्य बनाने की मंजूरी दे दी थी और बाद में राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने भी इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। इस फैसले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि अब तुर्किये को इस लड़ाकू विमान को बेचने की मंजूरी दे दी जाएगी।

RNI No. DELHIN/2017/72722

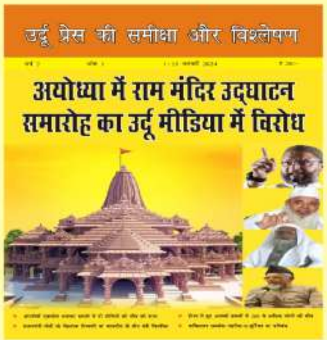

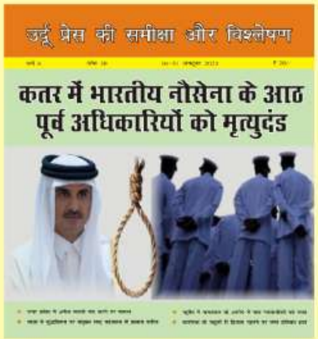

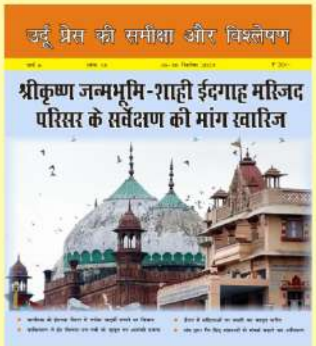

**भारत नीति प्रतिष्ठान**

**India Policy Foundation**

डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016

दूरभाष : 011-26524018

ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com

वेबसाइट : www.ipf.org.in